सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MCA21
सेवा रूपांतरण

IICA
ज्ञान, शासन और रूपांतरण
में भागीदारी

भारतीय प्रतिस्पर्धा
आयोग, नई दिल्ली

परिणामी बजट 2014–15

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

परिणामी बजट

2014-15

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	अध्याय का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.		कार्यकारी साराशं	(i) to (ii)
2.	I	संगठनात्मक ढांचा और प्रमुख कार्यक्रम	1-4
3.	II	वार्षिक कार्यक्रम	5-12
4.	III	सुधार उपाय और नीतिगत पहल–प्रयास	13-16
5.	IV	पिछले निष्पादन की पुनरीक्षा	17-21
6.	V	वित्तीय पुनरीक्षा	22-23
7.	VI	सांविधिक निकायों और संबद्ध कार्यालयों के निष्पादन की पुनरीक्षा	24-48
8.		अनुलग्नक	49-50

कार्यकारी सारांश

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम (एलएलपी अधिनियम), 2008, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 आदि का प्रशासन करता है। ये कानून प्रभावी कारपोरेट कार्य संचालन और निवेशक सुरक्षा के लिए अपेक्षित विनियामक ढांचा उपलब्ध कराते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013

नया कंपनी विधेयक 18.12.2012 को लोक सभा में और 08.08.2013 को राज्य सभा में पारित हुआ। महामहिम राष्ट्रपति ने 29.08.2013 को इस विधेयक को अनुमोदन प्रदान किया। अधिनियम की कुल 470 धाराओं में से 283 धाराएं 01.04.2013 से लागू हो गई हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की कतिपय संगत धाराएं और कतिपय धाराओं के भाग, कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेंगे।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष

निवेशक जारूकता बढ़ाने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में एक निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) की स्थापना का उपबंध है।

इस पहले के तहत मंत्रालय तीन व्यावसायिक संस्थानों – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान – के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मंत्रालय ने निवेशकों में जागरूकता लाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यमों का भी उपयोग किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोष के प्रशासन और निवेशक जागरूकता कार्यकलाप चलाने के लिए मंत्रालय द्वारा एक निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण का गठन अपेक्षित है। प्राधिकरण के गठन के लिए अंतरमंत्रालयी परामर्श वर्ष 2014–15 में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है। संस्थापक भागीदारों ने राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान के संक्षिप्त कोष में वित्तीय अंशदान किया है और प्रतिष्ठान की गतिविधियां इस कोष से प्राप्त ब्याज द्वारा चलाई जाती है। भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (अब भारतीय लागत लेखाकार संस्थान), भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) और भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को भी अब राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य सुस्थायी संपदा निर्माण की कुंजी के रूप में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में अच्छे कारपोरेट शासन व्यवहारों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान की अधिशासी परिषद् नीति निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर कार्य करती है और कारपोरेट कार्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान के कार्यकलाप ट्रस्टी बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके अध्यक्ष सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय हैं।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) क्षमतानिर्माण, नीति योजना और सेवा अदायगी के लिए विचारक मंडल के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय का चालू योजना कार्यक्रम है जिसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए आईआईसीए को 24 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

एमसीए21 ई–शासन परियोजना

'एमसीए21' परियोजना कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) कार्यालयों, प्रादेशिक निदेशक (आरडी) कार्यालयों और नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण संबंधी सेवाओं की अदायगी के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना ने सार्वजनिक सेवाओं की अदायगी और कंपनी अधिनियम के प्रशासन में सेवा केंद्रीय उपागम का प्रारंभ किया है। छः वर्षों की अवधि के अपने प्रथम चक्र को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इस परियोजना ने अद्यतन तकनीकी उन्नयन के साथ अतिरिक्त सेवा सुधार के लक्ष्य से अपने दूसरे चक्र में प्रवेश किया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (कॉम्पैट) पूर्णतः कार्यशील हैं। एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग (14.10.2009 से विघटित) के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अथवा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं।

कंपनी बंद करना और परिसमापन

कंपनियों के परिसमापन में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सांविधिक सुधार और ई–शासन लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। शासकीय समापकों के अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को शासकीय समापकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निदेश दिया है। इस प्रशिक्षण का व्यय संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों के अनुमोदन के पश्चात् शासकीय समापकों द्वारा रखे गए सामान्य पूल कोष से पूरा किया जाता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसरण में, मंत्रालय ने अवर सचिव और समतुल्य के स्तर के विषय–वार लोक सूचना अधिकारी और उप सचिव/निदेशक एवं समतुल्य स्तर के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान की पुनरीक्षा और निगरानी के लिए सूचना का अधिकार निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्य उपबंध, जो लोक प्राधिकारणों पर बाध्यकारी हैं, का अक्षरशः और भावशः पालन किया जाता है।

मंत्रालय अपने पोर्टल http://www.mca.gov.in के माध्यम से कंपनियों और सीमित देयता भागिदारियों से संबंधित ई–सेवाएं (एमसीए21) उपलब्ध कराता है। यह निवेशकों के लाभ और उनके हितों की रक्षा के लिए www.iepf.gov.in को भी समर्थन प्रदान करता है।

अध्याय–1

संगठनात्मक ढांचा और प्रमुख कार्यक्रम

प्राक्कथन :

यह मंत्रालय, अन्य बातों के साथ–साथ, कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु निम्नलिखित अधिनियमों सहित कई संविधियों के प्रशासन हेतु अधिदेशित है:

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013

(ii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

(iii) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

(iv) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

(v) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

(vi) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

(vii) भागीदारी अधिनियम, 1932

(viii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

(ix) कंपनी (राष्ट्रीय कोष में दान) अधिनियम, 1951

क. संगठनात्मक ढांचा

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का तीन स्तरीय संगठन है जिसमें नई दिल्ली स्थित मुख्यालय, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी (वर्तमान में शिलांग से कार्यरत), हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई और नोएडा स्थित प्रादेशिक निदेशकों के सात कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पन्द्रह कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) कार्यालय, नौ कंपनी रजिस्ट्रार–सह– शासकीय समापक (आरओसी–कम–ओ एल) कार्यालय है। शासकीय समापक कार्यालय मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं और संबंधित उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं।

ऊपर वर्णित कार्यालयों के अतिरिक्त नोडल मंत्रालय के रुप में मंत्रालय कई संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कंपनी विधि बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के कार्यसंचालन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपीलीय प्राधिकरण (एनएफआरएए), विशेष न्यायालयों और निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण की सांस्थानिक संरचना से संबंधित मुद्दों का समाधान भी करता है।

ख. उपर उल्लिखित कार्यालयों/ स्थापनाओं/ संस्थानों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है:–

1. प्रादेशिक निदेशक

प्रादेशिक निदेशक देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित कंपनी रजिस्ट्रारों और शासकीय समापकों के कार्यालयों के कार्यों की निगरानी करते हैं। वे कंपनी अधिनियम/सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के प्रशासन से संबंधित मामलों पर संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच संपर्क भी रखते हैं।

2. कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक

कंपनी रजिस्ट्रारों के 24 कार्यालय (कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक के 9 कार्यालयों सहित) देश भर में स्थित हैं। उनकी प्राथमिकता राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कंपनियों का पंजीकरण करना और यह सुनिश्चित करना है कि ये कंपनियां अधिनियम के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें। ये कार्यालय उनके पास पंजीकृत कंपनियों से संबंधित अभिलेखों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं, ये अभिलेख निर्धारित शुल्क की अदायगी पर आम जनता द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकार संबंधित प्रादेशिक निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 9 कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय शासकीय समापक के कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं।

3. शासकीय समापक

शासकीय समापकों के 14 कार्यालय (कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापकों के 9 कार्यालयों को छोड़कर) पूरे देश में स्थित हैं। शासकीय समापक और कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। शासकीय समापक अनिवार्य परिसमापनाधीन कंपनियों के कार्यों के प्रभारी हैं। शासकीय समापकों का प्राथमिक कार्य परिसमापनाधीन कंपनियों की आस्तियों का प्रशासन, परिसमापन में चल रही कंपनियों से संबंधित आस्तियों की बिक्री और सभी बकाया कर प्रभारी की वसूली, परिसमापनाधीन कंपनियों के विभिन्न देनदारों, कर्मचारियों और अन्य हितधारियों के मध्य इस प्रकार की बिक्री से प्राप्त राशि का संवितरण है।

4. कंपनी विधि बोर्ड

कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) का गठन एक स्वतंत्र अर्ध–न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ड. के अंतर्गत किया गया था, जो समान क्षेत्राधिकार रखता है और 31.05.1991 से इसने कार्य प्रारंभ किया। कंपनी विधि बोर्ड का कार्य कंपनी विधि बोर्ड विनियमन, 1991, जिसमें इसके समक्ष आवेदन/याचिका दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, और 'कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन तथा याचिकाओं पर शुल्क) नियम, 1991' के अनुसार कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिकाएं दाखिल करने का शुल्क निर्धारित करने वाले नियमों द्वारा विनियमित होता है।

5. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत 14.10.2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को खत्म करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और भारत में मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

6. प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण

प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (कॉम्पैट) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन 14.10.2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निदेशों और निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने तथा आयोग और अधिकरण की जांच से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के दावों के न्याय निर्णयन के अधिकार के साथ हुई थी।

7. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

सरकार द्वारा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09.01.2003 की अपने नोट द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात् की गई थी। नए कंपनी अधिनियम, 2013 में, अन्य बातों के साथ–साथ, एसएफआईओ को सांविधिक स्थिति देने का उपबंध है और इसके कार्यों और शक्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि

की गई है। एसएफआईओ एक बहु–विषयी जांच अभिकरण है जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार, कंपनी विधि, कानून, अपराध लेखापरीक्षा, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के विशेषज्ञ शामिल हैं।

8. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी)

(क) सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) की स्थापना के लिए कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 और धारा 4 अधिसूचित किया।

(ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की परिकल्पना बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के निरसन के पश्चात् वर्तमान कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बाआईएफआर) और एएआईएफआर को प्रतिस्थापित करने और कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनियों के परिसमापन और बंद करने के संबंध में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के उपयोग करने के लिए की गई है।

9. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

मंत्रालय ने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना 'समग्र विचारक मंडल', और एक 'क्षमता निर्माण, सेवा अदायगी संस्थान' के रूप में वन स्टॉप शॉप मोड में कारपोरेट विकास, सह क्रियाशील ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से सुधार, भागीदारियां और समस्या समाधान में मदद करने के लिए की गई है। यह संस्थान भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) के अधिकारियों, और मंत्रालय के लिए कार्य कर रहे अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करता है। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान एमसीए21, कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा, आदि जैसे विविध क्षेत्रों में सेवा अदायगी प्रणालियों के लगातार सुधार में भी मदद करता है।

ग. मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमः

मंत्रालय द्वारा लागू किए गए प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैः–

1. विधायी पहल–प्रयासः

कंपनी अधिनियम

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी विधेयक, 2011 लोकसभा में दिसंबर, 2011 में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक पर विचार किया गया और इसे 18.12.2012 को लोकसभा द्वारा और 08.08.2013 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। 29.08.2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक 30.08.2013 को ''कंपनी अधिनियम, 2013'' के रूप में अधिसूचित किया गया। 31.03.2014 तक अधिनियम की 282 धाराएं और अधिसूचित प्रावधानों से संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए गए है।

(ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए 07.12.2012 को प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2014 में प्रस्तुत की। 15वीं लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया है।

2. एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना

'एमसीए21' ई–गवर्नेंस परियोजना का दूसरा चरण जनवरी, 2013 में प्रारंभ हुआ। द्वितीय चरण में इंफोसिस नया सेवा प्रदाता है। इस प्रयास से सरकार को एक व्यापक राष्ट्रीय कारपोरेट सूचना डाटा बेस उपलब्ध कराने के साथ–साथ मंत्रालय को सेवा सुपुर्दगी का अत्याधिक उच्च मानक प्राप्त करने में मदद मिली है। साथ ही इस सेवा से व्यवसायिकों और यहां तक कि आम जनता को भारतीय कंपनियों से संबंधित विविध सूचना, अधिकांश मामलों में बिना किसी सेवा प्रभार के, प्राप्त हो रही हैं। इससे देश में कारपोरेट नियमन के प्रतिमान और उसकी निगरानी में पर्याप्त पारदर्शिता आई है।

3. प्रशासनिक पहल–प्रयास

प्रशासनिक पहल–प्रयासों में अन्यों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

(क) शासकीय समापकों के कार्यालयों में ई–शासन पहल–प्रयास शुरू करना,

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के लिए बेहतर ई–शासन;

(ग) अनुपालन और विनियामक कार्यो को सुदृढ़ करना;

(घ) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) का क्षमता निर्माण और संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार आईसीएलएस पदों को भरना।

अध्याय–II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक निर्गम और बजट निष्कर्ष

2.1 पिछले दो वर्षों के दौरान योजना और गैर–योजना शीर्ष के तहत बजट प्रावधान और व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

(करोड़ रु में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का प्रतिशत
2012-13	245.50	229.22	205.96	89.85
2013-14	255.28	233.36	229.22	98.23

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 233.36 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 229.22 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया यानि वर्ष 2012–13 में व्यय (205.96 करोड़ रुपए) की तुलना में 11.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.2 231.25 करोड़ रुपए के गैर–योजना बजट (2014–15) व्यय में मुख्यतः एमसीए मुख्यालय और इस मंत्रालय के फील्ड और संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना व्यय के लिए अपेक्षित निधि शामिल है। इसमें (i) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली का स्थापना व्यय और (ii) देश के विभिन्न स्थानों पर गैर–योजना पूंजीगत परिव्यय के तहत मंत्रालय के बुनियादी सुविधा संबंधी कार्य भी शामिल हैं।

2.3 24.00 करोड़ रुपए के योजना बजट (2014–15) व्यय में मुख्यतः भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां शामिल है। इसमें भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान मानेसर, हरियाणा के लिए पूंजीगत परिव्यय हेतु 1.24 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी शामिल है।

2.4 मंत्रालय के बजट अनुमान के योजना और गैर–योजना आबंटनों के तहत वार्षिक कार्यक्रम (2014–15) और स्वीकृत आबंटन की तुलना में अनुमानित निष्कर्ष, मंत्रिमंडल सचिवालय की कार्य निष्पादन डिवीजन (पीएमडी) के निदेश और उनके साथ विचार–विमर्श के बाद तैयार कारपोरेट कार्य मंत्रालय के परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) 2014–15 में दर्शाए जा चुके हैं। वर्ष 2014–15 के लिए मंत्रालय के बजट आबंटन के अनुमानित निष्कर्ष आरएफडी 2014–15 के अनुरूप हैं और नीचे तालिका में प्रस्तुत हैः–

अध्याय–II

वार्षिक कार्यक्रम (वर्ष 2014–15)

क्र. सं	स्कीम / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2013–14			गणना योग्य परिणाम/भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया / समय–सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4 (i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	**ई–शासनः कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग**	गति, निश्चितता दक्षता तथा पारदर्शिता के साथ सभी रजिस्ट्री संबंधित सेवाओं की ऑन–लाइन डिलीवरी। प्रणाली को संभव सीमा तक कागज़ रहित बनाना। कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेजों की नागरिकों को आसान तथा ऑनलाइन पहुंच मुहैया करवानी। कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी रूप से मानीटरिंग	39.36 करोड़ रूपए	–	–	कंपनी रजिस्ट्रार के प्रयोग के लिए व्यापार नियामक टूल्स का विकास और बैक ऑफिस (बीओ) पोर्टल उपलब्ध करना।	कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि।	लक्ष्य 15.02.2105 तक प्राप्त किया जाना है	इंफोसिस एमसीए–21 के लिए सेवा प्रदाता है। परिणाम इसके द्वारा समय पर डिलीवरी पर निर्भर करता है।
						भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान में कक्षा प्रशिक्षण के लिए एमसीए–21 बैक ऑफिस संयोजिता और कक्षा में 2.00 एमबी वर्चुअल नेटवर्क (वीपीएन) लिंक की स्थापना।	भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए उन्नत शिक्षण विधियां।	लक्ष्य 31.07.2014 तक प्राप्त किया जाना है	वही
						पक्षकारों के लिए नयी एमसीए प्रणाली के माध्यम से वी 2.0 प्लेटफार्म आधारित नया डैश बोर्ड और फ्रंट ऑफिस पोर्टल पर नए डैश बोर्ड का रोलआउट।	दक्षता में वृद्धि।	लक्ष्य 13.12.2014 तक प्राप्त किया जाना है	वही
						एकल व्यक्ति कंपनी(ओपीसी) के लिए इलैक्ट्रानिक प्रारूप की शुरूआत।	ओपीसी में निगमन	मार्च, 2014	

क्र. सं	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2013–14			गणना योग्य परिणाम/भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया/ समय–सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4 (i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
						कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन के लिए ई–प्ररूप रखना	सीएसआर कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना	30.07.2014	
						नए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनियों निगमन लिए ई प्ररूपों में परिवर्तन सम्मिलित करना।	नए कंपनी अधिनियम का कार्यान्वयन	मार्च, 2014	
		एचआरएमएस के कार्यों और एमसीए–21 के लेखांकन का विस्तार करना जिससे शासकीय समापक के कार्यालयों और ओएल संबंधित ई–नीलामी के कार्यान्वयन को शामिल किया जा सके।				एचआरएसएम, लेखों का रिकॉर्ड, ई–नीलामी का इलैक्ट्रानिक रख–रखाव	सेवाओं के अदायगी को इष्टतम करना	वर्ष के दौरान परिणामों को सतत आधार पर प्राप्त किया जाना है।	परिणाम संचालक द्वारा समय पर डिलीवरी पर निर्भर करता है।
2.	**भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)**	प्रतिस्पर्धा संवर्धन और संपोषण, प्रतिस्पर्धा रोधी संव्यवहारों को रोकना, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रवर्तन द्वारा अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजार में अन्य सहभागियों द्वारा	45.00करोड़ रूपए	—	––	i) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियमों की अधिसूचना, जब भी आवश्यक है।	प्रतिस्पर्धा बाजार की स्थापना	2013–14 के दौरान	सही अर्थ में परिणाम गनना योग्य नहीं हैं।
						ii) अधिनियम के समर्थन अधिदेश के तहत प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए गोष्ठियां/ सम्मेलन आयोजित करना	पक्षकारों में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बारे में अधिक जागरूकता लाकर बाजार में प्रतिस्पर्धा शक्तियों को बढ़ाना।	2013–14 के दौरान	

क्र. सं	स्कीम / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2013–14			गणना योग्य परिणाम/भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया / समय–सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4 (i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
		किए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और इससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामले ।				iii) निम्न संगठनों के साथ एक दर एक आधार पर कार्य संबंध विकसित करना : महा निदेशक, प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय संघ अन्य देशों के प्रतिस्पर्धा आयोग आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी)	भारत में अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मानक उपलब्ध कराना।	2013–14 के दौरान	
						iv) क्षमता निर्माण के लिए अल्पावधि और मध्यावधि लक्ष्यों के लिए औपचारिक कार्यनीति अपनाना।	सीसीआई के अधिकारियों का क्षमता निर्माण	2013–14 के दौरान	इससे अधिकारियों की जांच कौशल में सुधार होगा जिससे प्रतिस्पर्धा कानून को और कारगर ढंग से लागू किया जाएगा।
						v) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पता लगाना और प्रशिक्षण का वार्षिक कैलेंडर बनाना।			
						vi) समरूप प्रतिस्पर्धा शासन प्रणाली वाले संगत विकासशील देशों में ऐसे ही प्रतिस्पर्धा के साथ द्विपक्षीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करना।			
						vii) राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति के परिचालन के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना और कैबिनेट द्वारा इसे स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचनाएं जारी करना।	प्रतिस्पर्धा बाजारों को बढ़ावा देना, जिससे उत्पादकता में वृद्धि और समावेशी विकास को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।	2013–14 के दौरान	लक्ष्य की प्राप्ति कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को स्वीकृति देने पर निर्भर करती है।

क्र. सं	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2013–14			गणना योग्य परिणाम/भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया/ समय–सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4 (i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
3.	(क) निवेशक शिक्षा एंव सुरक्षा निधि	बेहतर निवेशक जागरूकता	3.00करोड़ रूपए			i) तीन व्यावसायिक संस्थानों (पीआई) और पीआई द्वारा नियुक्ति (आरपी) के माध्यम से 900 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। ii) सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना। iii) देश में विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यकालपों के अतिरिक्त 900 विडियो क्लिपों और वर्तमान/ नए रेडियो जिंगलों का प्रसारण।	छोटे निवेशकों में विभिन्न वित्तीय विलेखों के बारे में बेहतर जागरूकता लाना और उनमें बचत की आदत पैदा करना।	मार्च, 2015	
						अदत्त एवं दावा न की गई राशि के आंकड़ों को वेबसाइट www.iepf.gov.in पर अद्यतन करना। निवेशकों को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए आईईपीएफ की वर्तमान वेबसाइट में सुधार करना।	निवेशकों को ऐसी राशि के बारे में सूचित करना और प्रणाली में प्रदर्शिता बढ़ाना।	28.02.2015	
						i)अनुपालन न करने वाली कंपनियों के नाम उनके	कंपनियों द्वारा उन के पास	एक वर्ष से अधिक	

क्र. सं	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013–14			गणना योग्य परिणाम/भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया/समय–सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4 (i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
						द्वारा गैर अनुपालन की स्थिति को सुनिश्चित करने के बाद एमसीए की वेबसाइट पर प्रकाशित करना । Ii) अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों के नाम एमसीए की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के एक महीने के भीतर संबंधित नियामक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना। Iii) सभी पात्र कंपनियों द्वारा उनके पास अदत्त और दावा न की गई राशि प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।	अदत्त एवं दावा न की गई राशि के प्रकटीकरण की अनुपालना सुनिश्चित करना।		
						कंपनियों द्वारा अपलोड की गई निवेशकों की अदत्त/दावा न की गई राशि के आंकड़े/सूचना का विश्लेषण करना।	नीति इनपुट प्रदान करना।	मार्च, 2015	
4.	**गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)**	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में जांच क्षमता को विकसित व मजूबत करना और गंभीर धोखाधड़ी मामलों में प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना।	9.66 करोड़ रूपए	–	–	i) साधनों के प्रयोग द्वारा जांच प्रक्रिया का स्वचालन। ii) एसएफआईओ के 30 अधिकारी प्रशिक्षित किए जाएंगे।	तीव्र जांच	31.01.2015	फॉरेसिक लैब के भाग के रूप में 2013–14 के दौरान आधारभूत आईटी अवसंरचना तैयार की गई।
						i) 31.03.2013 तक एमसीए द्वारा एसएफआईओ को भेजे गए जांच के सभी मामले को पूरा करना ii) 31.03.2013 तक	लंबित जांच मामलों का निपटान		इन जांच रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनुबंध

क्र. सं	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2013–14			गणना योग्य परिणाम/भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया/ समय–सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4 (i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	**योजना बजट**	**अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन**				
						अभियोजन के लिए स्वीकृत मामलों में प्राधिकृत अदालतों शिकायत दर्ज करना।		31.03.2015	आधारित विधि सलाहकारों को अनुवर्ती अभियोजन कार्य के लिए नियुक्ति किया गया है।
5.	**अवसंरचना कार्यालय परिसरों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण और जहां संभव हो कार्यालय भवन की खरीद।**	मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को संवर्धित निष्पादन स्तरों वाला आधुनिक कार्य परिवेश प्रदान करना।	22.50 करोड़ रूपए			कंपनी रजिस्ट्रार,ओएल कार्यालयों के लिए अहमदाबाद में कारपोरेट भवन का निर्माण।	जगह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना और कुशल कार्य परिवेश प्रदान करना।	2014–15 के दौरान	सरकारी एजेंसियों/ विकास प्राधिकरणों/ शहरी विकास मंत्रालय से उपयुक्त भूमि की उपलब्धता।
6.	**भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीएएए) स्कीम योजना**	मंत्रालय को कारपोरेट क्षेत्र और अन्य पक्षकारों की आशाओं के अनुरूप, बदलते व्यापार, परिदृश्य में गतिशील विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए आधुनिक जानकारी प्रबंधन क्षमता निर्माण और सेवा सुपर्दगी केन्द्र की स्थापना करना।	–	24.00 करोड़ रूपए	–	i) आईआईसीए में (क) स्कूल्स ऑफ कारपोरेट लॉ (ख) सेंटर फॉर बिजनेस इनोवेशन के लिए मॉड्यूल का पूरा पाठ्यक्रम विकसित करना। ii) कारपोरेट शासन, प्रतिस्पर्धा विधि, वित्त, कारपोरेट विधि, कारपोरेट संवाद, व्यापार नवाचार के क्षेत्रों में लघु अवधि क्षमता निर्माण कार्यक्रम।	एमसीए अधिकारियों का क्षमता निर्माण वही	मार्च, 2015 मार्च, 2015	

क्र. सं	स्कीम / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2013–14			गणना योग्य परिणाम/भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया / समय–सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4 (i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
						iii) आईआईसीए परिसर में खेल सुविधाओं, फर्नीचर और फिक्टर्स आदि जैसे अतिरिक्त पूंजी कार्य को पूरा करना और पूर्ण प्रचालन।	उन्नत अवसंरचना	मार्च, 2015	
						iv) सीएसआर पर न्यूनतम 60 सहभागियों के लिए लघु अवधि क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन	कंपनियों द्वारा सीएसआर का कार्यान्वयन	मार्च, 2015	
						v) आईओडी (यूके) और आईएफसी, वाशिंगटन के सहयोग से कारपोरेट शासन पर न्यूनतम 120 सहभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।	कारपोरेट शासन क्षेत्र में क्षमता निर्माण	मार्च, 2015	आईसीए और आईओडी (यूके) के बीच समझौता ज्ञापन तथा आईआईसीए और आईएफसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अध्याय–III

सुधार उपाय और नीतिगत पहल–प्रयास

1. सांविधिक सुधारः–

(क) कंपनी अधिनियम, 2013

नया कंपनी विधेयक लोकसभा द्वारा 18.12.2012 को और तत्पश्चात् राज्य सभा द्वारा 08.08.2013 को पारित किया गया। विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29.08.2013 को स्वीकृति दी गई। कंपनी विधेयक, 2013 दिनांक 30.08. 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अधिनियम की 470 धाराओं में से 283 धाराएं 1.4.2014 से लागू की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 की कुछ सदृश धाराएं और कुछ धाराओं के भाग कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं द्वारा प्रतिस्थापित होने तक लागू रहेंगे।

(ख) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008–

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधान 31. 03.2009 से लागू करने के लिए अधिसूचित किए गए। सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 दिनांक 01.04.2009 को अधिसूचित किए गए। एलएलपी कारपोरेट निकाय स्वरूप में एक नया व्यापार साधन है और एक अलग कानूनी एनटिटि है जो भागीदारों की देयता उनके सम्मत अंशदान तक सीमित करता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11.06.2012 से एलएलपी पंजीकरण प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कर दिया है और केन्द्रीय रजिस्ट्री से जनता को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थित कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों ने एलएलपी का पंजीकरण करना आरंभ कर दिया है।

(क) कारपोरेट शासनः–

कंपनी अधिनियम, 2013 में भारत में कारपोरेट शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए है–

(i) पूर्णतया इनेक्ट्रानिक एमसीए21 रजिस्ट्री द्वारा कंपनियों का तुरंत निगमन/पंजीकरण (धारा 7);

(ii) कंपनियों को ई–गवर्नेंस मोड द्वारा अभिलेख रखने और बैठकों का आयोजन करने की अनुमति दी गई है (धारा173);

(iii) कंपनियो को 'सरकारी/नियामक अनुमोदन आधारित तंत्र' के स्थान पर 'प्रकटीकरण/पारदर्शिता के साथ स्व–नियमन' तरीके से कार्य करने का अधिकार दिया गया है (धारा 178);

(iv) व्यापार के कारपोरेट स्वरूप का लाभ नए उद्यमियों को देने के लिए 'एक व्यक्ति कंपनी' और 'छोटी कंपनी' की अवधारणा को मान्यता दी गई है (धारा 3(1));

(v) राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एऩसीएलटी) के माध्यम से समयबद्ध अनुमोदन (धारा 422);

(vi) विशेष श्रेणी की कंपनियों के लिए संक्षिप्त परिसमापन प्रक्रिया का प्रावधान (धारा 361)

2. संस्थानः

(क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को चालू करना और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (सीएटी) की स्थापनाः

दोनों संस्थान/संगठन पूरी तरह चालू हो गए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तथा महानिदेशक (सीसीआई) कार्यालय में पदों की शर्तों व निबंधनों से संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की विभिन्न धाराएं (धारा 5,6,20,29,30,31,43क और 44 को छोड़कर) अधिसूचित कर दी गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी).

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXVII की धारा 407 से 434 में राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन का प्रावधान है।

(ii) अधिनियम की धारा 434 के अंतर्गत ये दो नए संगठन वर्तमान कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील अधिकरण (एएआईएफआर) को (रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 निरस्त होने के बाद) प्रतिस्थापित करेंगे और साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे।

(iii) इन संगठनों के प्रमुख/अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है परंतु इन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है। सहायक स्टाफ के पदों के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iv) सदस्यों और स्टाफ की भर्ती, अवस्थापना की उपलब्धता और कार्यों के अंतरण को देखते हुए एनसीएलटी की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने का प्रस्ताव है। इन संगठनों की स्थापना के लिए अपेक्षित अवसंरचना की व्यवस्था के लिए भी उपाय शुरू किए गए हैं।

(v) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और कंपनी विधेयक, 2009 और कंपनी विधेयक, 2012 पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन/स्थापना के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किए गए हैं।

(vi) नए अधिनियम के प्रावधान जिनके लिए विशेषकर अधिनिर्णय, अनुमोदन आदि के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का चालू होना अपेक्षित है, एनसीएलटी/एनसीएलएटी के गठन से संबंधित प्रावधानों को दी गई कानूनी चुनौतियों के कारण लागू नहीं किए गए हैं। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

3. प्रशासनिक सुधारः–

(i) एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजनाः

इस परियोजना में एक सुरक्षित पोर्टल www.mca.gov.in के माध्यम से सभी एमसीए सेवाएं जैसे दस्तावेजों की फाइलिंग, कंपनियों का पंजीकरण और कारपोरेट सूचना जनता को उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और कम्पयूटरों के प्रयोग द्वारा सुगम और पारदर्शी ढ़ंग से सेवाओं की सुपुदर्गी और कारपोरेट प्रक्रिया की निगरानी संभव हुई है।

इस परियोजना के सफल परिचालन के परिणामस्वरूप सांविधिक अनुपालन और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। मंत्रालय का इस प्रयास से अधिकतम मूल्य प्राप्त करके इस कार्यक्रम को अगले उच्च स्तर पर ले जाने का विचार है। इस प्रक्रिया में लागू किए जाने वाले उपायों में एसएपी सीआरएम तथा वर्कफ्लो का कार्यान्वयन, आधुनिकतम प्रौद्यगिकी के साथ हार्डवेयर उन्नयन और बेहतर मॉनिटरिंग उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें कंपनियों के दिवालिया होने पर उससे संबंधी प्रक्रिया को शामिल करते हुए व्यापार समापन को भी सम्मिलित करने योजना है।

(ii) कारपोरेट सामाजिक दायित्वः–

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंध और अनुसूची VII, उक्त धारा और इसके अंतर्गत नियमों की अधिसूचना द्वारा 01.04.2014 से लागू किए गए है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी जिसका मूल्य 500 करोड़ रुपए या अधिक है, या टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए या अधिक है अथवा किसी वित्त वर्ष के दौरान निवल लाभ 5 करोड़ रुपए या अधिक है तो उस कंपनी के लिए बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन करना और सीएसआर नीति लागू करना अनिवार्य है।

बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति का गठन और सीएसआर नीति को प्रकट किया जाएगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसत निवल लाभ का कम–से–कम 2 प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करेगी।

किए जाने वाले कार्यकलापों की सूची अधिनियम की अनुसूची VII में दी गई है जिसे दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 130 (अ) और दिनांक 31.03.2014 की सा.का.नि. संख्या 261 (अ) द्वारा संशोधित किया गया है। इन संशोधनों से सीएसआर कार्यकलापों का क्षेत्र विस्तृत हो गया है।

(iii) अवसंरचना सुदृढ़ीकरणः–

वर्ष 2014–15 के दौरान वर्तमान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और नई भौतिक अवसंरचना के सृजन के प्रयास जारी रखने का प्रस्ताव है। हैदराबाद स्थित कारपोरेट भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और आशा है कि जून 2014 के अंत तक भवन तैयार हो जाएगा। मंत्रालय अहमदाबाद में कारपोरेट भवन के निर्माण के लिए अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण से भूमि खरीदने की कार्रवाई भी कर रहा है। प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि की 50 प्रतिशत लागत वित्त वर्ष के दौरान दे दी गई है। शेष राशि का भुगतान चालू वित्त वर्ष में किया जाना है। अब तक मंत्रालय अपने कार्यालय परिसर नामतः कारपोरेट भवन के निर्माण के लिए बजटीय अपेक्षाएं पूंजी शीर्ष (गैर–योजना) के अंतर्गत बजट अनुदान से पूरी रहा है।

4. अन्य प्रमुख कार्यक्रमः

(i) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष

मंत्रालय ने अपनी की वेबसाइट www.mca.gov.in पर एक सबसाइट शुरू की है जिसमें कंपनियां उनके पास निवेशकों की भुगतान और दावा न की गई राशि के निवेशक–वार ब्यौरे फाइल कर रही हैं। 31 मार्च, 2014 तक 2459 कंपनियों ने अपने आंकड़े अपलोड किए हैं। इसका उद्देश्य निवेशकों विशेषकर छोटे निवेशकों को ऐसी राशि संबंधी सूचना का पता लगाना और सात वर्ष की समाप्ति से पहले इस राशि का दावा करने में मदद करना है। फिलहाल यह राशि सात वर्ष समाप्त होने पर निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) को अंतरित की रही है तथा यह धनराशि निवेशकों को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष प्राधिकरण का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 में धारा 125 की उपधारा (5) के

अंतर्गत कोष के प्रशासन के लिए एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। गठित होने के बाद यह प्राधिकरण निवेशक जागरूकता एवं शिक्षा को बढ़ावा देने, दावा न की गई राशि लौटाने, वापस की गई राशि का वितरण, क्लास एक्शन सुइट के कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति आदि के लिए भी उत्तरदायी होगा।

5. महिला बजट प्रावधान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक महिला बजट प्रकोष्ठ (जीबीसी) स्थापित किया है जिसका उद्देश्य महिला विश्लेषण का सरकारी बजट में एकीकरण करना है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जीबीसी ने फील्ड कार्यालय, संबद्ध कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों सहित कारपोरेट कार्य मंत्रालय में महिला प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना/डाटाबेस प्रणाली तैयार की है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जीबीसी का उद्देश्य बजट आबंटन में महिलाओं की आवश्कताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इक्विटी तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के मुद्दों पर कारपोरेट क्षेत्र की नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना है।

6. कंपनी विधि बोर्ड

कंपनी विधि बोर्ड द्वारा याचिकाओं/आवेदनों का निपटान अत्याधिक पारदर्शी ढ़ग से किया जाता है। हार्डशिप आधार पर जमाराशि लौटाने के जमाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने के लिए कंपनी विधि बोर्ड में हार्डशिप कमेटी की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कंपनी विधि बोर्ड की अपनी अलग वेबसाइट www.clb.gov.in है जिस पर इसके संघटन, कार्य, पीठों का क्षेत्राधिकार, दैनिक/मासिक कॉज़ लिस्ट, बोर्ड द्वारा पारित आदेश, मामलों की स्थिति, कंपनी विधि बोर्ड नियमन, 1991 तथा अन्य सांख्यिकीय सूचना आदि रखी जाती है।

कंपनी विधि बोर्ड में 'लोकअदालत' का प्रारंभ

छोटे निवेशकों की कठिनाइयों के समाधान और कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मुंबई पीठ में जस्टिस श्री डी. आर. देशमुख, अध्यक्ष तथा श्री ए.के. त्रिपाठी, सदस्य द्वारा दिनांक 07.12.2013 को पहली 'लोकअदालत' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क (9) के अंतर्गत 203 मामलों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन के मामलों में अपराध शमन के 61 आवेदनों पर भी निर्णय किया गया। 'लोकअदालत' में पीठ द्वारा पारित सहमति आदेश के अनुसरण में, कंपनियों द्वारा 70,49,500 रुपए की राशि प्रशमन शुल्क के रूप में जमा की गई। इसके साथ–साथ 29 मार्च, 2014 को नई दिल्ली, कोलकात्ता तथा मुबंई पीठों में विशेष अभियान चलाया गया जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क (9) के अंतर्गत 968 मामलों तथा धारा 621क के अंतर्गत अपराध प्रशमन के लिए 113 याचिकाओं का निपटान किया गया। चूक करने वाली कंपनियों पर 1.15 करोड़ रुपए का प्रशमन शुल्क लगाया गया।

राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का गठन होने तक विशेष व्यवस्था

कंपनी विधि बोर्ड को एनसीएलटी का गठन होने तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 24, 58 और 59 के अंतर्गत एऩसीएलटी के कुछ शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय–IV

पिछले निष्पादन की पुनरीक्षा

1. संस्थान :

(क) प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण

प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण का कार्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलें सुनना और उनका निपटान करना तथा सीसीआई के निर्णयों से उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति के दावों का अधिनिर्णय करना है। 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान प्राप्त तथा निपटाई गई अपीलों की संख्या इस प्रकार है:

संगठन एवं सेक्शन	अथशेष	प्राप्तियां	योग (कॉलम 2 और 3)	निपटाई गई	लंबित (कॉलम 4 और 5)
1	2	3	4	5	6
एम.आर.टी.पी. आयोग					
आईटीपीई	54	43	97	76	21
यूटीपीई	144	07	151	102	49
एमटीपीई	03	शून्य	03	02	01
सीए	05	04	09	06	03
कुल	206	54	260	186	74

01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण द्वारा अंतरित और निपटाए गए मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

संगठन एवं सेक्शन	अथशेष	प्राप्तियां	योग (कॉलम 2 और 3)	निपटाई गई	लंबित (कॉलम 4 और 5)
1	2	3	4	5	6
एम.आर.टी.पी. आयोग					
प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण					
अपील	129	44	173	107	66

इस अधिकरण को विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई अपीलों की सुनवाई तथा निपटान के लिए विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान इस अधिकरण को 3 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से एईआरएएटी द्वारा एक अपील का निपटान कर दिया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

संगठन एवं सेक्शन	अथशेष	प्राप्तियां	योग (कॉलम 2 और 3)	निपटाई गई	लंबित (कॉलम 4 और 5)
1	2	3	4	5	6
एम.आर.टी.पी. आयोग					
विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण					
अपील	17	8	25	12	13

(ख) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए):

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान द्वारा किए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

I. मंत्रालय और फील्ड कार्यालयों के समूह 'ख' अधिकारियों के लिए मिड–करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

II. तीसरे और चौथे बैच के 43 आईसीएलएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रवेशन प्रशिक्षण दिया गया।

III. 5 आईसीएलएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रवेशन प्रशिक्षण (पहला चरण) 16 दिसंबर, 2013 से प्रारंभ हुआ।

IV. सीकेएफ और सीएसआर के सहयोग से चैन्नई में 3 जनवरी, 2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। एमसीसीआई के सहयोग से 4 जनवरी, 2014 को चैन्नई में

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया।

V. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) और बीएसई लिमिटेड (जिसे पहले बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता था) ने मुबंई में बीएसई कार्यालय परिसर में भारत के पहले सीएसआर सूचकांक को तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

VI. भारत के पांच अग्रणी अनुसंधान, शैक्षिक और व्यापार संस्थानों नामतः इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), इंस्टीट्यूट पब्लिक एंटरप्राईस (आईपीई), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेस (टीआईएसएस), द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) और यस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आईआईसीए द्वारा पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

VII. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और आईआईसीए ने सीएसआई, प्रतिस्पर्धा कानून, कारपोरेट कानूनों, कारपोरेट शासन, समग्र विकास तथा उद्योग एवं अर्थव्यवस्था के सुस्थिर विकास के क्षेत्रों में एक दूसरे से सहयोग और भागीदारी करने के लिए 13 जनवरी, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

VIII. आईआईसीए ने गंभीर धोखाधडी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) जो गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने के लिए एक बहु विषयक संगठन है, के साथ 10 फरवरी, 2014 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आपसी संपर्क और उद्योग अनुभव के माध्यम से एसएफआईओ के अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना तथा व्यापार में धोखाधड़ी मानकों और जांच के बारे में कारपोरेट संस्थानों को सूचित करना है।

IX. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और आईआईसीए ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व, कारपोरेट कानून, कारपोरेट शासन और उक्त दोनों संस्थानों द्वारा परस्पर सहमत किसी अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षण और सहकारिता तथा सहयोग में भागीदारी के लिए 14 मार्च, 2014 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

X. आईआईसीए के लिए इनक्यूबेशन और नवप्रवर्तकों के लिए इनक्यूबेशन दिशानिर्देश तैयार किए।

XI. नवप्रवर्तन पर आईसीपी के लिए मॉड्यूल्स और विषय–वस्तु तैयार की।

XII. नवप्रवर्तक राउंड टेबल की अवधारणा तैयार की और आईपीआर मामलों, एमसीए21, व्यवसाय योजनाओं और वित्तीय मॉडलिंग पर तिमाही राउंड टेबल आयोजित कीं।

XIII. जनवरी, 2014 में आईआईसीए ई–लर्निंग पोर्टल शुरू किया।

XIV. नवप्रवर्तकों की शिक्षण जरूरत विश्लेषण और विनियामक सुधारों पर रिपोर्ट प्रकाशित की।

XV. आईआईसीए आंतरिक ईआरपी आवेदन और डाटा बेस संकलन तैयार किया।

राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रतिष्ठान (एनएफसीएसआर)

(क) यह राष्ट्रीय संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण, अभ्यास, क्षमता निर्माण, मानक निर्धारण, समर्थन, रेटिंग, निगरानी, मान्यता और इस क्षेत्र से जुड़ी सहायता के जरिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य और रणनीति संचार संबंधी कार्य करता है।

(ख) लगभग 15 एनजीओ कंसोर्टियम ने अगस्त, 2013 में आयोजित बैठक में भाग लिया और कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी राष्ट्रीय कार्यसूची में एनजीओ की भूमिका पर विचार मंथन किया।

(ग) चैन्नई में 16 जुलाई, 2013 को सरकारी उद्योग विचार–विमर्श का आयोजन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान आईआईसीए की योजना स्कीमों के तहत आंबटित बजट और व्यय के ब्यौरे

पूंजी शीर्ष

(करोड़ रु में)

वर्ष	ब.अ	सं.अ	व्यय
2011-12	25.00	25.00	24.99
2012-13	20.00	20.00	16.43
2013-14	10.62	2.77	2.15

राजस्व शीर्ष

(करोड़ रु में)

वर्ष	ब.अ	सं.अ	व्यय
2011-12	3.00	3.00	3.00
2012-13	8.00	8.00	8.00
2013-14	23.38	18.23	18.23

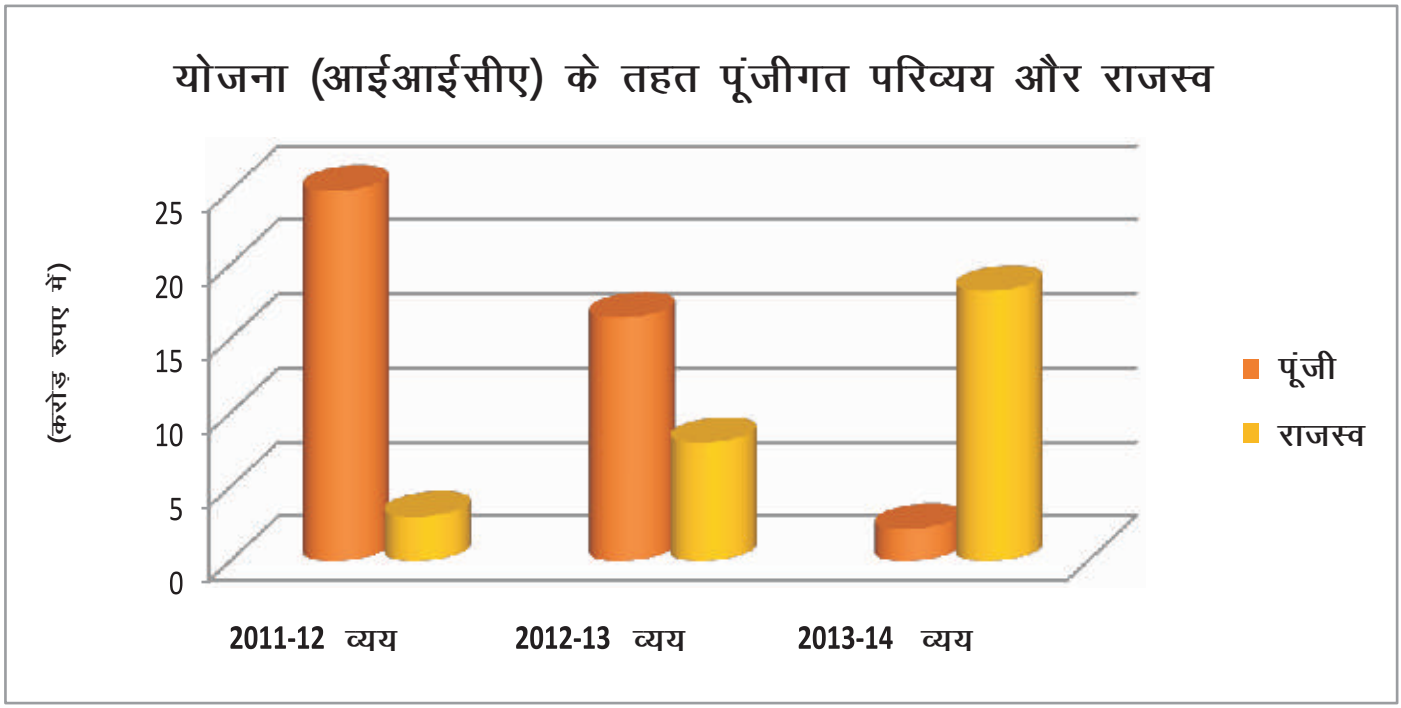

2. प्रशासनिक पहल–प्रयास

(i) एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना का कार्यान्वयन

एमसीए21 पोर्टल अपनी स्थापना से लेकर अब तक कारपोरेट क्षेत्र में पक्षकारों की अपेक्षाओं को दक्षता से पूरा कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, एमसीए21 कार्यक्रम को बहुत अधिक स्वीकारिता प्राप्त हुई। पोर्टल पर पंजीकृत प्रयोक्ता 7.4 लाख हैं : 2.60 करोड़ ई–फाइलिंग की गई; 14.3 लाख कंपनियां एमसीए के पास पंजीकृत हुईं ; 6.25 लाख ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया।

इसके अलावा, इस प्रणाली का उपयोग 9.6 लाख से अधिक प्राधिकृत बैंकरों और व्यवसायिकों (डीएसई के पास पंजीकृत) ने किया जिससे 44.4 लाख अभिलेख ऑनलाइन देखे गए।

एमसीए21 प्रचालनों पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख आंकड़ें (वर्ष 2006 से वित्तीय वर्ष के अंत तक)

(लाख में)

क्र.स.	ब्यौरा	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014
1	जून 2006 से लेकर अब तक संचयी फाइलिंग	163.97	208.43	260
2	अब तक ऑनलाइन पंजीकृत कंपनियों की संख्या	4.34	5.26	6.25
3	जारी निदेशक पहचान संख्या	22.04	24.44	32
4	ऑनलाइन देखे गए कंपनी रिकॉर्डस	20.68	23.07	44.4
5	फाइल किए गए तुलन पत्रों की संख्या	27.01	32.69	39.35
6	फाइल की गई वार्षिक विवरणियों की संख्या	27.2	33.04	39.5

फाइलिंग और अन्य प्रमुख मानदंडों पर पिछले तीन सालों में एमसीए21 परियोजना उपयोग में निरंतर सुधार निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

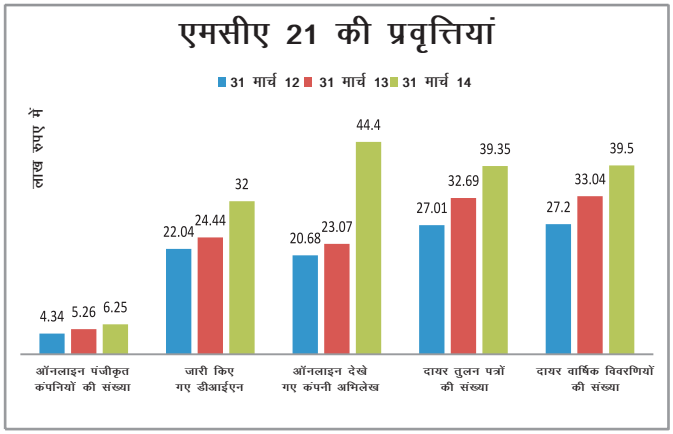

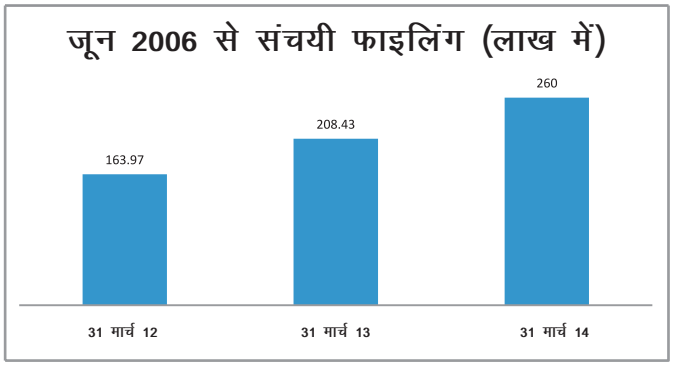

(ii) भौतिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण:

वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में कुछ निम्नलिखित हैं :–

वर्ष 2011–12 :

- मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय (प्रादेशिक निदेशक और कंपनी रजिस्ट्रार) में विडियो–कॉन्फ्रैंसिंग प्रणाली की शुरुआत
- कंपनी रजिस्ट्रार, कोलकाता के कार्यालय स्थल का नवीकरण
- कटक, चंडीगढ़ और हैदराबाद में कारपोरेट भवन का निर्माण
- चैन्नई में संपत्ति का पंजीकरण
- पर्यावरण भवन स्थित आरएंडए प्रभाग और लोक नायक भवन स्थित शासकीय समापक, दिल्ली के कार्यालय का नवीकरण

वर्ष 2012–13:.

- लोक नायक भवन स्थित शासकीय समापक, दिल्ली के कार्यालय का नवीकरण
- कंपनी रजिस्ट्रार, कोलकाता और कंपनी विधि बोर्ड, कोलकाता के कार्यालय स्थल का नवीकरण
- बंगलुरू में खरीदी गई संपत्ति का पंजीकरण
- चंडीगढ़ में खरीदी गई संपत्ति के भूमि किराए का भुगतान

वर्ष 2013–14 :

- कंपनी विधि बोर्ड, कोलकाता के परिसर में अतिरिक्त परिसज्जा कार्य ।
- कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, ग्वालियर का नवीकरण ।
- कार्यालय समापक कार्यालय, दिल्ली का नवीकरण।
- मंत्रालय के नाम से निर्धारित भूमिखंड के लिए अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) को आंशिक भुगतान ।
- 10 कार्यालय समापक कार्यालयों में विडियो कॉन्फैसिंग प्रणाली प्रारंभ करने के लिए एनआईसीएसआई, नई दिल्ली को भुगतान ।
- भुगतान और लेखा अधिकारी, कोलकाता के कार्यालय का नवीकरण।
- कंपनी रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, बिलासपुर कार्यालय का नवीकरण ।
- कारपोरेट भवन, हैदराबाद का निर्माण

(ख) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रादेशिक निदेशकों ने तीन व्यवसायिक संस्थानों–भारतीय चार्टर्ड अंकाउटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की साझेदारी में देश के विभिन्न भागों में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। पिछले तीन वर्षों में मंत्रालय द्वारा आयोजित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या
2011-12	2000 (लगभग)
2012-13	1985
2013-14	2900 (लगभग)

निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अतिरिक्त, वर्ष 2013–14 के दौरान निवेशकों को जागरूक और सतर्क करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की साझेदारी में बहुभाषी प्रिंट मीडिया विज्ञापन, डीडी न्यूज चैनलों और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों पर क्रॉलर संदेश प्रदर्शित करना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पासबुकों पर निवेशक जागरूकता के लघु संदेश, बीएसएनएल नेटवर्क के माध्यम से एसएमएस और ऑल इंडिया रेडियो पर जिंग्लस का प्रसारण जैसे नए पहल–प्रयास किए गए।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी)

एनएफसीजी के तत्वाधान में आयोजित कार्यकलापों में कारपोरेट शासन, भारतीय कंपनियों में कारपोरेट शासन पद्धतियों पर अनुसंधान कार्यों से संबंधित सेमिनार और सम्मेलन शामिल हैं। एनएफसीजी राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के एक मंच के रूप में कार्य करता है और विश्व में इसी प्रकार के संगठनों के संपर्क में रहता है। वर्ष 2013–14 के दौरान एनएफसीजी के द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों/ कार्यशालों/ सेमिनारों का आयोजन किया गया:–

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संख्या
1.	निदेशक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	03
2.	सेमिनार/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं	18
3.	संकाय उन्मुखीकरण कार्यक्रम	01
4.	भाषण प्रतियोगिता/विधि –सभा प्रतियोगिता	01
5.	अनुसंधान और प्रकाशन कार्य	05

अध्याय–V

वित्तीय पुनरीक्षा

5.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय की योजना और गैर–योजना का पूंजीगत परिव्यय

(करोड़ रूपए में)

योजना का नाम	व्यय 2011–12	व्यय 2012–13	बजट अनुमान 2013–14	संशोधित अनुमान 2013–14	व्यय 2013–14	बजट अनुमान 2014–15
योजना स्कीम आईआईसीए कार्य	24.99	16.43	10.62	2.77	2.15	1.24
गैर योजना स्कीम अवसंरचना	12.10	8.03	19.30	17.34	16.93	22.50

तालिका 5.1

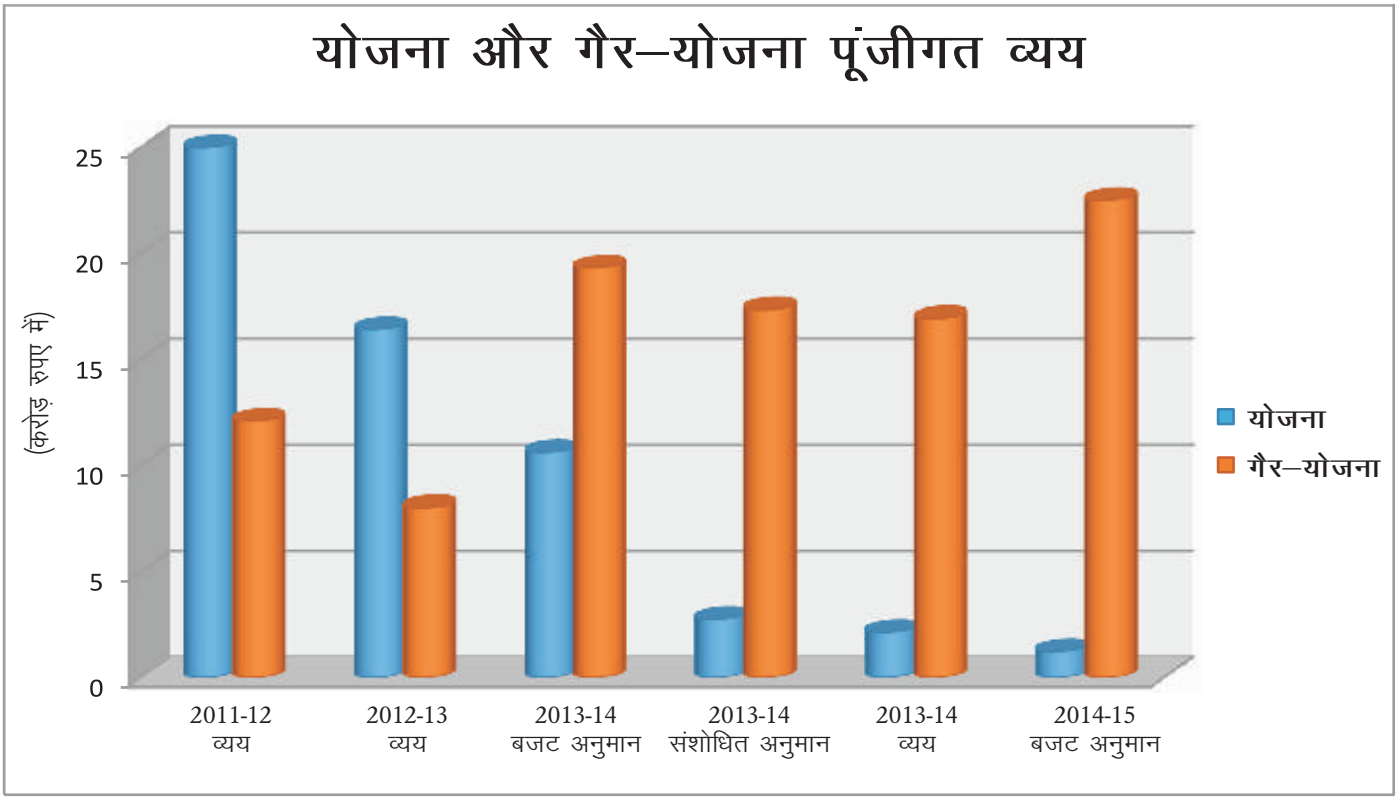

5.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय निम्नलिखित मुख्य घटकों वाली एक आईआईसीए योजना स्कीम चलाता है:–

क) संस्थान वर्तमान कारपोरेट कानून, नियम और विनियमों के पुनरीक्षण/ संशोधन में मंत्रालय की सहायता करता है।

ख) यह भारतीय कंपनी विधि सेवा और मंत्रालय व अन्य संगठनों के लिए कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

ग) आईआईसीए विभिन्न क्षेत्रों एमसीए–21, जैसे कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण आदि में सेवा अदायगी

को निरंतर बेहतर बनाने में सहायता करता है।

5.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के लिए एक गैर योजना स्कीम चलाती है:–

क) कार्यालय परिसरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और जहां आवश्यक/ संभव हो, वहां कार्यालय बिल्डिंग खरीदने के लिए;

ख) मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में बढ़े हुए निष्पादन स्तर के साथ आधुनिक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए।

गैर–योजना स्कीम

5.2 सचिवालय

तालिका 5.2

(करोड़ रुपए में)

2011–12 व्यय	2012–13 बजट अनुमान	2013–14 संशोधित अनुमान	2013–14 व्यय	2013–14 बजट अनुमान	2013–14 संशोधित अनुमान
118.11	96.10	120.28	114.14	112.82	119.20

5.3 क्षेत्रीय कार्यालय

तालिका 5.3

(करोड़ रुपए में)

2011–12 व्यय	2012–13 बजट अनुमान	2013–14 संशोधित अनुमान	2013–14 व्यय	2013–14 बजट अनुमान	2013–14 संशोधित अनुमान
55.54	59.42	64.95	63.08	61.41	64.88

5.4 संबद्ध कार्यालय

तालिका 5.4

(करोड़ रुपए में)

2011–12 व्यय	2012–13 बजट अनुमान	2013–14 संशोधित अनुमान	2013–14 व्यय	2013–14 बजट अनुमान	2013–14 संशोधित अनुमान
14.23	17.98	16.75	17.80	17.68	24.67

5.5 योजना स्कीम– राजस्व

तालिका 5.5

(करोड़ रुपए में)

2011–12 व्यय	2012–13 बजट अनुमान	2013–14 संशोधित अनुमान	2013–14 व्यय	2013–14 बजट अनुमान	2013–14 संशोधित अनुमान
3.00	8.00	23.38	18.23	18.23	22.76

अध्याय–VI

सांविधिक निकायों और संबद्ध कार्यालयों के कार्य–निष्पादन की पुनरीक्षा

वित्तीय पुनरीक्षा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	संगठन	वास्तविक व्यय 2011–12	वास्तविक व्यय 2012–13	बजट अनुमान 2013–14	संशोधित अनुमान 2013–14	वास्तविक व्यय 2013–14	बजट अनुमान 2014–15
1.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य अनुदान सहायता)	39.10	38.02	45.56	43.33	43.19	45.00
2.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0.03
3.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपीलीय प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0.02
4.	विशेष अदालतें	0	0	0	0	0	0.02
5.	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0.01
6.	कंपनी विधि बोर्ड	3.42	4.35	4.54	4.61	4.53	4.55
7.	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय	5.99	8.83	7.92	9.19	9.25	9.66
8.	राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल	0	0	0.03	0.02	0	5.01
9.	प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल	4.82	4.80	4.23	3.97	3.90	4.18
10.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	0	0.03	0.01	0	1.19

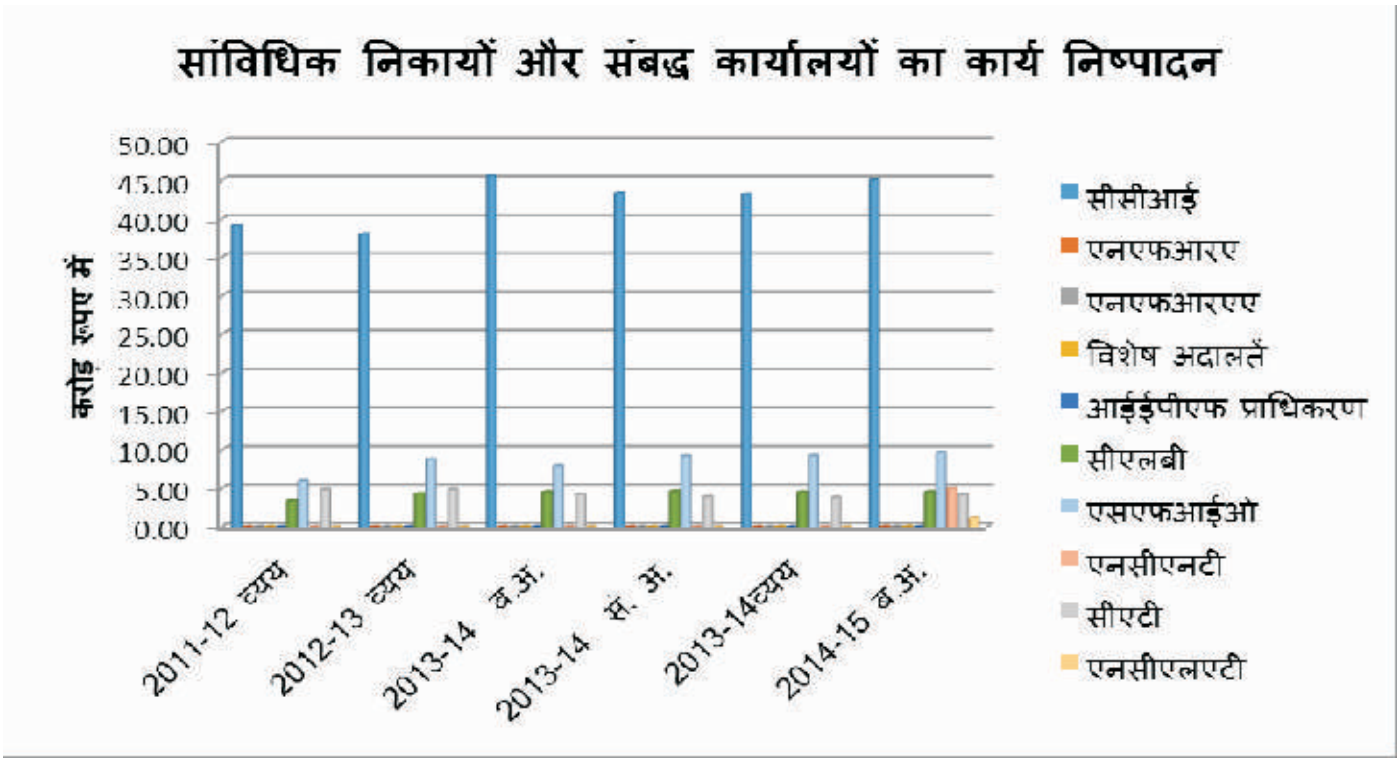

अध्याय-VI

सांविधिक निकायों एवं संबद्ध कार्यालयों के कार्य-निष्पादन का पुनरवलोकन

भौतिक पुनरवलोकन

संगठन का नाम	2012-13 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2013-14 (मार्च, 2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)	(1) प्रतिस्पर्धा रोधी करारों पर रोक तथा प्रबल स्थिति पद के दुरुपयोग से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 एवं 4 का प्रवर्तन।	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2007 में यथासंशोधित) के लागू होने के परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(1)(क) के तहत 102 और 19(1) (ख) के तहत 8 मामले प्राप्त हुए हैं। 5 मामलों में आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। इसके अलावा, 1.4.2013 को आयोग में 82 मामले लंबित थे। कुल उक्त अवधि के दौरान 197 मामलों में से 73 मामले धारा 26(2) के अंतर्गत तथा 8 मामले धारा 26 (6) के तहत बंद किए गए और 13 मामलों में धारा 27 के तहत निर्णय लिया गया । चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 48 मामले जांच के लिए महानिदेशक, सीसीआई को भेजे गए। महानिदेशक ने इस अवधि के दौरान 30 मामलों (6 अनुपूरकों सहित) में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की 31 मार्च, 2014 को उपर्युक्त में से 61 मामले महानिदेशक, सी.सी.आई केपास लंबित थे।
	(2) संयोजनों के विनियमन के संबंध में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 एवं 6 का प्रवर्तन ।	अधिनियम में संयोजनों (एमएण्डए) के विनियमों से संबंधित प्रावधान भारत सरकार द्वारा 04 मार्च, 2011 को अधिसूचित किए गए एवं 01 जून, 2011 को प्रवृत्त हुए। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान संयोजन प्रभाग में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत सैंतालीस (47) नोटिस प्राप्त हुए इनमें से आयोग ने 31 मार्च, 2014 तक चालीस (40) नोटिस में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है और बाकी 7 नोटिस की जांच अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार में की जा रही है। आयोग ने फाइलिंग संबंधी अपेक्षाओं को सरल बनाने और बेहतर सुनिश्चितता लाने के लिए, मौजूदा विनियमों को दिनांक 4 अप्रैल, 2013 और 28 मार्च, 2013 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया है।

	(3) पक्ष समर्थन : प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 49(3) के तहत आयोग प्रतिस्पर्धा विधि एवं नीति के संबंध में जागरूकता पैदा करके एवं प्रशिक्षण देकर प्रतिस्पर्धा समर्थन को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त कदम उठाएगा।	इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा मुद्दों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न नियामक निकायों, नीति निर्माताओं, व्यापार संघों, उपभोक्ता एसोसिएशनों तथा आम जनता के साथ संपर्क बैठकों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। आयोग द्वारा विभिन्न पक्षकारों, मंत्रालयों/विभागों, अनुसंधान समुदाय, नियामकों, वकीलों, उद्योगों आदि में प्रतिस्पर्धा अर्थशास्त्र, विधि व नीति के क्षेत्र में अनुसंधान क्षमता का विकास भी किया जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा निम्नलिखित पहल-प्रयास किए गए:- 1. भारतीय लेखाकार संस्थान, हैदराबाद चैप्टर और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, हैदराबाद चैप्टर द्वारा 6 अप्रैल, 2013 को हैदराबाद में संयुक्त रूप से 'व्यवसायिकों के लिए नए आयाम-प्रतिस्पर्धा कानून' सेमिनार में व्याख्यान। 2. सरकारी नीति के प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन पर 9 अप्रैल, 2013 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के अधिकारियों के साथ आरम्भिक बैठक। 3. 13 अप्रैल, 2013 को पटना विधि कॉलेज, पटना में 'प्रतिस्पर्धा कानून और नीति' पर व्याख्यान। 4. उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली में 25 अप्रैल, 2013 को 'प्रतिस्पर्धा कानून का सिहांवलोकन' तथा सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून' पर प्रस्तुति। 5. अखिल भारतीय कैमिस्ट और ड्रगिस्ट (एआईओसीडी), नई दिल्ली द्वारा 26 अप्रैल, 2013 को आयोजित कार्यकारी बैठक में 'प्रतिस्पर्धा कानून और व्यापार संघ' तथा 'व्यापार संघों के लिए प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम' पर प्रस्तुति। 6. उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली द्वारा 2 मई, 2013 को "प्रतिस्पर्धा और कानून सार्वजनिक खरीद" पर कार्यशाला।

		7. 3 मई, 2013 को एसोसिएशन (एटीएमए) की कार्यकारी बैठक में 'प्रतिस्पर्धा कानून और व्यापार संघ' पर व्याख्यान। 8. क्षेत्रीय उपभोक्ता समन्वयन परिषद् सम्मेलन में 11 मई, 2013 को 'प्रतिस्पर्धा कानून और उपभोक्ता' पर व्याख्यान। 9. सरकारी नीति के प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन पर 15 मई, 2013 को औषध विभाग भारत सरकार के साथ आरम्भिक बैठक। 10. एसीएमए की कार्यकारी बैठक में 17 मई, 2013 को 'प्रतिस्पर्धा कानून' पर व्याख्यान। 11. सरकारी नीति के प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन पर 21 मई, 2013 को उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के साथ आरम्भिक बैठक। 12. सरकारी नीति के प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन पर 04 जून, 2013 को डीआरडीओ, सामग्री प्रबंधन निदेशालय के अधिकारियों के साथ आरम्भिक बैठक। 13. 7 जून, 2013 को ग्लास निर्माता परिसंघ, नई दिल्ली की कार्यकारी बैठक में 'प्रतिस्पर्धा कानून और व्यापार संघ' पर व्याख्यान। 14. सरकारी नीति के प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन पर 27 जून, 2013 को स्वास्थय तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आरम्भिक बैठक। 15. केरल सरकार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 16 जुलाई, 2013 को प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की भूमिका पर बैठक। 16. 17 जुलाई, 2013 को प्रतिस्पर्धा कानून के सिहांवलोकन पर पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ आरम्भिक बैठक। 17. 18 जुलाई, 2013 को अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा उद्योग और उसके वरिष्ठ अधिकारियों का वित्तीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ परस्पर विचार विमर्श सत्र।

		18. 22 जुलाई, 2013 को सदस्य, सीसीआई और मुख्य न्यायाधीश, मुबंई उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून पर प्रस्तुति। 19. 25 जुलाई, 2013 को प्रतिस्पर्धा कानून की संभावनाएं और उनके दोहन पर नागरिक उड्यन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ आरम्भिक बैठक। 20. उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 26 जुलाई, 2013 को प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की भूमिका पर बैठक। 21. 26 जुलाई, 2013 को फिक्की द्वारा आयोजित सेमिनार में 'प्रतिस्पर्धा कानून और उसके उद्योग पर प्रभाव' पर व्याख्यान/प्रस्तुति। 22. 01 अगस्त, 2013 को मुबंई वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित सेमिनार में 'प्रतिस्पर्धा कानून का सिहांवलोकन: धारा 3 और 4' पर प्रस्तुति। 23. 07 अगस्त, 2013 को मद्रास बार एसोशिएशन के साथ परस्पर विचार-विमर्श सत्र। 24. 21 अगस्त, 2013 को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 'प्रतिस्पर्धा कानून का सिहांवलोकन: धारा 3 और 4' और सीसीआई, व्यापार संघों की शक्तियां और कर्तव्य तथा प्रतिस्पर्धा अनुपालन पर प्रस्तुति। 25. 23 अगस्त, 2013 को फिक्की द्वारा आयोजित 'प्रतिस्पर्धा विनियम का सिहांवलोकन: धारा 3 और 4' और सीसीआई, व्यापार संघों की शक्तियां और कर्तव्य तथा प्रतिस्पर्धा अनुपालन पर प्रस्तुति। 26. महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 26 अगस्त, 2013 को प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की भूमिका पर बैठक । 27. 04 सिंतबर, 2013 को हिमाचल प्रदेश ज्यूडिशिएल अकादमी द्वारा आयोजित 'प्रतिस्पर्धा कानून' संबंधी सेमिनार में व्याख्यान।

		28.	04 सितंबर, 2013 को मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के विशेष सचिव के साथ परस्पर विचार-विमर्श बैठक।
		29.	प्रतिस्पर्धा कानून और सार्वजनिक खरीद पर 06 सितंबर, 2013 को रेल मंत्रालय के साथ आरम्भिक बैठक।
		30.	06 सितंबर, 2013 को फिक्की द्वारा आयोजित सेमिनार में 'प्रतिस्पर्धा कानून का सिहांवलोकन: धारा 3 और 4 तथा "प्रतिस्पर्धा अनुपालन तथा व्यापार संघ"' पर प्रस्तुति ।
		31.	06 सितंबर, 2013 को पीएचडीसीसीआई में 'व्यापार संघ तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में अनुपालन से जुड़े मुद्दों' पर प्रस्तुति।
		32.	13 सितंबर, 2013 को एसौचेम द्वारा आयोजित 8वां सार्वजनिक खरीद सम्मेलन-पारदर्शिता, कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ाने पर व्याख्यान।
		33.	20 सितंबर, 2013 को 14वें वित्त आयोग में विद्युत क्षेत्र में विनियामक तंत्र विनियामक प्राधिकरणों द्वारा कार्य संचालन पर अनुभवों का आदान प्रदान।
		34.	23 सितंबर, 2013 को डा. एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान, आध्र प्रदेश में 'प्रतिस्पर्धा कानून और सरकार को लाभ' पर प्रस्तुति।
		35.	26 सितंबर, 2013 को आईपीई बोर्ड अभिमुखी कार्यक्रम में कारपोरेट बोर्ड: प्रतिस्पर्धा और विनियमन से सबक पर वार्ता।
		36.	01 अक्टूबर, 2013 को महाराष्ट्र सरकार के साथ आयोजित 'प्रतिस्पर्धा कानून का अनुप्रयोग' पर कार्यशाला।
		37.	05 अक्टूबर, 2013 को आंध्र प्रदेश ज्यूडिशिएल अकादमी, सिकंदराबाद के तत्वाधान में आयोजित जिला न्यायाधीशों (हैदराबाद) के साथ प्रतिस्पर्धा कानून पर कार्यशाला।
		38.	11 अक्टूबर, 2013 को तेल उद्योग कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक में 'उद्योग संघों के लिए प्रतिस्पर्धा अनुपालन संबंधी मुद्दे पर प्रस्तुति।

		39. 17 अक्टूबर, 2013 को उद्योग-सदस्यों के साथ सीसीआई चौथे परस्पर विचार विमर्श बैठक में 'प्रतिस्पर्धा कानून, व्यापार संघ और प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम' पर प्रस्तुति। 40. 18 अक्टूबर, 2013 को 6वें न्यायामूर्ति हिदायततुल्ला मेमोरियल नेशनल मूट कोर्ट कंपीटिशन के सेमी-फाइनल दौर में न्यायाधीश के रूप में सहभागिता। 41. 31 अक्टूबर, 2013 को डा. आरसीवीपी नोरोहां अकादमी में 'प्रतिस्पर्धा कानून और सरकार को लाभ' पर प्रस्तुति। 42. 06 नवबंर, 2013 को मुख्य सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय और सीसीआई के अधिकारियों के दल के बीच बैठक। 43. 15 नवंबर, 2013 को10वें अंतर्राष्ट्रीय रिएल स्टेट सम्मेलन में रिएल स्टेट क्षेत्र से संबंधित प्रतिस्पर्धा नीति पर विशेष संबोधन। 44. 28 नवंबर, 2013 को दिल्ली ज्यूडिशिएल अकादमी द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुति। 45. 29 नवंबर, 2013 को राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी द्वारा 'प्रतिस्पर्धा कानून और सरकार को लाभ' पर आयोजित सत्र। 46. 30 नवंबर, 2013 को डा. आरसीवीपी नोरोहां प्रशासन अकादमी, भोपाल में व्याख्यान। 47. 12 दिसंबर, 2013 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में 'प्रतिस्पर्धा कानून' पर परस्पर विचार -विमर्श सत्र। 48. 20 दिसंबर, 2013 को स्कोप के सहयोग से स्कोप कंवेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 'सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून' पर कार्यशाला। 49. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के साथ 23 दिसंबर, 2013 को प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की भूमिका पर बैठक।

		50.	7 और 8 जनवरी, 2014 को तिरूवतंपुरम और कोच्चि में प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर कार्यशालाएं।
		51.	14 जनवरी, 2014 को एनपीसी, भुवनेश्वर में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और सार्वजनिक खरीद प्रणाली-प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर प्रस्तुति।
		52.	17 जनवरी, 2014 को एनएडीटी, नागपुर में प्रतिस्पर्धा कानून सिहांवलोकन और सरकार की समीक्षा।
		53.	20 जनवरी, 2014 को सरकार के समर्थन पर नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय के साथ आरम्भिक बैठक।
		54.	22 जनवरी, 2014 को लखनऊ में प्रतिस्पर्धा कानून के सिहांवलोकन पर प्रस्तुति।
		55.	24 जनवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश में 'प्रतिस्पर्धा को लाभो का दोहन' पर कार्यशाला।
		56.	08 फरवरी, 2014 को भुवनेश्वर (ईआईआरसी) में 'प्रतिस्पर्धा कानून के तहत चार्टर्ड अकांउटेंट्स के लिए संभावनाएं'।
		57.	13 फरवरी, 2014 को कोच्चि में प्रतिस्पर्धा कानून पर कार्यशाला।
		58.	13 फरवरी, 2014 को नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली में 'पक्षकारों की लेखा परीक्षा के दौरान प्रतिस्पर्धा कानून की जानकारी का अनुप्रयोग' पर वेबकास्ट।
		59.	28 फरवरी, 2014 को ओएनजीसी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'पीएसई में खरीद' पर प्रस्तुति।
		60.	12 मार्च, 2014 को प्रतिस्पर्धा कानून के कारगर कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए महा निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन तथा प्रबंधन अकादमी के साथ बैठक।
		61.	31 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा 'भारत में औषध विनियामक सुधार' पर आयोजित कार्यशाला।

	(4) आर्थिक स्कंध क) समर्पित अनुसंधान यूनिट की स्थापना ख) आयोजित सेमिनार/सम्मेलन/प्रस्तुति/ वार्ताएं	(क) आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 के प्रवर्तन में आर्थिक विशलेषण का संसक्त और सुव्यस्थित एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक आर्थिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत आयोग ने समर्पित अनुसंधान यूनिट की स्थापना का कार्य इंडिया डेवलेपमेंट फाउंडेशन, गुड़गांव, हरियाणा को सौंपा है। (ख) इंडिया डेवलेपमेंट फाउंडेशन में समर्पित अनुसंधान यूनिट की स्थापना के लिए 30 अप्रैल, 2014 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और उक्त फाउंडेशन के बीच एक अनुबंध किया गया है। (ग) डीआरयू तैयार किया गया और विचारार्थ विषय के रूप में सभी 6 प्रवेशिकाएं प्रस्तुत कर दी गई है। 1. 23.092013 को समर्पित अनुसंधान यूनिट द्वारा तैयार 'विश्वासरोधी विश्लेषण में आईपीआर की भूमिका' पर प्राइमर पर प्रस्तुति का आयोजन किया। 2. 06.12.2013 को समर्पित अनुसंधान यूनिट द्वारा तैयार 'उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में बाजार शक्ति का मूल्यांकन' पर प्रस्तुति का आयोजन किया। 3. 31.01.2014 को समर्पित अनुसंधान यूनिट द्वारा तैयार 'सामूहिक प्राबल्यता और मौन सांठ-गांठ' पर प्रस्तुति का आयोजन किया। 4. 11 मार्च, 2014 को 'टेलीकॉम बाजार-विनियम कहां खत्म हो और प्रतिस्पर्धा (प्रतिस्पर्धा कानून) स्थान लें?' पर सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में प्रमुख वक्ता प्रो. मार्टिन केवे, उपाध्यक्ष, प्रतिस्पर्धा आयोग, यू.के. थे।
	(ग) प्रतिस्पर्धा विनियमन प्रक्रिया में भाग लेने में पक्षकारों का क्षमता निर्माण	आर्थिक स्कंध के अधिकारियों द्वारा दिए गए व्याख्यान/प्रस्तुतियां 1. 25 मई, 2013 को पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्याय विज्ञान विश्व विद्यालय, कोलकत्ता में प्रतिस्पर्धा कानून के उद्देश्य और इस अधिनियम के प्रतिस्पर्धारोधी उपबंधों को लागू करने पर व्याख्यान।

		2. 8 अप्रैल, 2013 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलुरू में 'भारतीय ब्रॉडबैंड नीति और विनियामक प्रक्रियाओं में कैसे काम करें' पर व्याख्यान। 3. राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान में 'स्पेक्ट्रम प्रबंधन, प्रमाण आधारित अनुसंधान नीति तैयार करने संबंधी मुद्दों' पर व्याख्यान। 4. सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 12.07.2013 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और नव प्रवर्तन सम्मेलन के दूसरे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। 5. सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 02 अगस्त, 2013 को भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान में आईओसी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। 6. सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 20 सितंबर, 2013 को विद्युत क्षेत्र में विनियामक तंत्र पर अनुभव और मत साझा करने के लिए 14वें वित्त आयोग की बैठक में भाग लेना। 7. सलाहकार (आर्थिक) ने 31 अक्टूबर, 2013 को डा. आरसीवीपी नोरोहां अकादमी में 'प्रतिस्पर्धा कानून और सरकार को लाभ' पर व्याख्यान दिया। 8. सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नई दिल्ली में 20-22 नवंबर, 2013 के दौरान आयोजित तृतीय ब्रिक्स आंतरिक प्रतिस्पर्धा सम्मेलन में 'ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन-मुद्दे तथा चुनौतियों' पर पूर्ण सत्र में सभापति थे। 9. सलाहकार (आर्थिक) ने 19 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में वार्षिक प्रतिस्पर्धा कानून सेमिनार में 'विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव डाल रही सरकारी नीतियां' पर व्याख्यान दिया। 10. सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंडियन मर्चेंट चैम्बर, मुंबई द्वारा आयोजित 'प्रतिस्पर्धा कानून' संबंधी सेमिनार में भाग लिया'। 11. सलाहकार (आर्थिक) ने 9 दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में सीयूटीएस

		द्वारा आयोजित 'भारत में संस्थागत और कानूनी तंत्र की ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच की तुलना में उपभोक्ता के अधिकार' पर व्याख्यान दिया। 12. सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 10 दिसंबर, 2013 को अर्थशास्त्र विभाग, जामा मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित एप्लाइड इक्नोमैट्रिक्स पर अनुसंधान प्रणाली कार्यशाला में भाग लिया। 13. सलाहकार (आर्थिक) ने 20 दिसंबर, 2013 को भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान में 'हाई-टेक उद्योगों में अनुबंध, प्राबल्यता का दुरुपयोग और विलयन' पर सत्र में भाग लिया। 14. सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 30 दिसंबर, 2013 को विज्ञान ज्योति प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद में दीक्षांत समारोह में संबोधित किया। 15. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारी ने 7-8 जनवरी, 2014 को केरल में (i) प्रतिस्पर्धा के लाभों का दोहन (ii) सार्वजनिक खरीद पर प्रस्तुति दी। 16. सलाहकार (आर्थिक) ने 15 फरवरी, 2014 को पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेट एंड सोसायटी में "ब्रॉडबैंड में प्रतिस्पर्धा" पर व्याख्यान दिया। 17. सलाहकार (आर्थिक) ने 11/12 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन में घरेलू उर्जा शासन चुनौतियों पर सत्र में भाग लिया। 18. सलाहकार (आर्थिक) ने 7 मार्च, 2014 को जामा मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, सीसीएमजी में 'ब्रॉडबैंड/इंटरनेट के महत्व पर अनुसंधान' के शैक्षिक सत्र में भाग लिया। 19. सलाहकार (आर्थिक) ने 20 मार्च, 2014 को कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'बाजार सुधारों पर नया मॉडल अधिनियम' पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।
	घ) प्रशिक्षण	आर्थिक प्रभाग के अधिकारियों ने, आयोग द्वारा अपने अधिकारियों के क्षमता निर्माण संबंधी पहल-प्रयासों के भाग के रूप में देश- विदेश में विभिन्न

		प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। अधिकारियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों/कार्यशालाओं में भी निमत्रंण आधार पर भाग लिया और प्रस्तुतियां दीं। (क) सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11.11.2013 को आईएसआईडी, वंसत कुंज में सीयूटीएस और सीआरईएसएसई, प्रतिस्पर्धा कानून में अर्थशास्त्र की भूमिका पर ग्रीस फर्स्ट विंटर स्कूल के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। (ख) सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11.11.2013 को नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली में नीति अनुसंधान केन्द्र के 40वें वार्षिक दिवस समारोह में भाग लिया। (ग) सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 16.11.2013 को आईआईसीए, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा कानून के संदान (एन्विल) पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक संरचना पर राउंड टेबल में भाग लिया। (घ) सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 19.11.2013 को कनाडा उच्चायोग और सीआईआई के सहयोग से इंडो-कनाडियन बिजनेस चैम्बर द्वारा आयोजित राउंड टेबल में भाग लिया। (ङ) सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 30.11.2013 को अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता सम्मेलन 'प्रतिस्पर्धा कानून: चुनौतियां और विकास' के कार्यकारी चौथे सत्र में विशिष्ट अतिथि और वक्ता के रूप में भाग लिया। (च) सलाहकार ने 12.11.2013 को फिक्की द्वारा आयोजित 'कोयला उत्पादन बढ़ाना - वास्तविक प्रतिस्पर्धा का आगमन' सत्र में भाग लिया। (छ) सलाहकार ने ताज होटल, नई दिल्ली में एलेन एंड ओवरी के सहयोग से ट्राईलिगल द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतिस्पर्धा कानून सेमिनार में 19 नवंबर,2013 को 'विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव डाल रही सरकारी नीतियां' पर पैनल विचार-विमर्श को संबोधित किया।

		(ज) सलाहकार (आर्थिक) ने 9 दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में फोर्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सीयूटीएस द्वारा आयोजित 'भारत में संस्थागत और कानूनी तंत्र की ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच की तुलना में उपभोक्ता के अधिकार' सत्र में भाग लिया। (झ) सलाहकार (आर्थिक) ने 20 दिसंबर, 2013 को भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, गुड़गांव द्वारा आयोजित 'समतल, शीर्ष अनुबंध का विश्वासरोधी विश्लेषण तथा प्राबल्यता का दुरुपयोग' पर कार्यशाला के तीसरे सत्र में भाग लिया। (ञ) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के एक अधिकारी ने आईसीआईईआर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में डा. हल वेरियन, चीफ इक्नोमिस्ट, गुगल क साथ विचार-विमर्श किए। (ट) सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 5 दिसंबर, 2013 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध भारतीय अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में डा. रोबर्टो ज़ागा द्वारा आयोजित 'विकास और वृद्धि की दो कहानियां: ब्राजील और भारत' वार्ता में भाग लिया।
	ड.) आयोग के इंट्रानेट पर रखे/प्रकाशित परामर्श आलेख	i. केंस्यूके कूबो, आईएसआई द्वारा "भारतीय औषध उद्योग में प्रतिस्पर्धा मुद्दे" पर प्रस्तुति; ii. भारतीय औषध उद्योग: प्रतिस्पर्धा मुद्दे; iii. डा. जोजेफ मॉलनर, यूरोपियन कमीश्न, डीजी-कंपीटिशन, चीफ इक्नोमिस्ट टीम द्वारा "मर्जर विश्लेषण के लिए इकोनोमेट्रिक उपकरणों का प्रयोग: यूके और ईयू के मामला अध्ययन" पर प्रस्तुति; iv. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद और प्रतिस्पर्धा मुद्दे; v. प्राबल्य के दुरूपयोग के कुछ इकोनोमिक्स; vi. टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण पर टिप्पणियां, केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्राबल्य पर परामर्श आलेख; vii. गुटबंदी के गरीबों पर प्रभाव पर प्रस्तुति;

		viii. अत्याधिक कीमत निर्धारण; ix. समर्पित अनुसंधान यूनिट द्वारा तैयार 'उच्च प्रौद्यगिकी उद्योगों में बाजार शक्ति का मूल्याकंन' पर प्राइमर; x. "विश्वास रोधी विश्लेषण पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका" पर प्राइमर ; xi. 'सामूहिक प्राबल्यता और मौन सांठ-गांठ' पर प्राइमर; xii. खेल सामग्री उद्योग में सामान्यता प्राबल्य और प्रतिस्पर्धा मूल्याकंन के पहलुओं पर वैचारिक टिप्पणियां; xiii. व्यापार रणनीति और प्रतिस्पर्धा कानून के बीच संबंध; xiv. कार्टल फाइन दिशानिर्देश; xv. अप्राबल्य फर्म के आचरण का विश्लेषण; xvi. प्राब्लयता का मूल्यांकन; xvii. रिहायशी रिएल स्टेट के लिए संगत बाजार परिभाषित करना; xviii. भारतीय निर्माता क्षेत्र; xix. मुद्रास्फीति; xx. स्वास्थ्य देखभाल उद्योग का बाजार ढांचा; xxi. दो तरफा बाजार; xxii. व्यवसाय व्यापार सुधारों से क्यों डरता है? xxiii. प्रतिस्पर्धा कानून और सरकार को लाभ; xxiv. मानक अनिवार्य पेटेंट और एफआरएएनडी;
	(5) इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम	विद्यार्थी समुदाय में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में आयोग उन्हें इंटर्नशिप सुविधा भी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2013-14के दौरान 75 छात्रों को आयोग ने विभिन्न प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्रदान किया है।

	(6) क्षमता निर्माण	
	i) प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	(क) 01.11.2013 को विशेषज्ञों (विधि/अर्थशास्त्र/वित्त) के लिए प्रवेश प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 21 रिसर्च एसोसिएट ने प्रशिक्षण में भाग लिया। (ख) 03.02.2014 को नए भर्ती अधिकारियों के लिए एक पूर्ण दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
	i) भारत में प्रशिक्षण/कार्यशाला/सेमिनार	(क) आयोग के अधिकारियों द्वारा 12 अप्रैल, 2013 को प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन पर आधे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। (ख) 26 अप्रैल, 2013 को सीसीआई के अधिकारियों के लिए प्रस्तुति दक्षता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। (ग) सीसीआई के अधिकारियों के लिए 19 जुलाई, 2013 को औषध क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। (घ) सीसीआई के अधिकारियों के लिए 30-31 जुलाई और 01 अगस्त, 2013 के दौरान यूएसएफटीसी के सहयोग से विश्वासरोधी/विलयन मुद्दों पर संक्षिप्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। (ङ) सीसीआई के अधिकारियों के लिए न्याय विभाग, अमेरिका के सहयोग से कार्टल जांच पर कार्यशाला आयोजित की गई। (च) सीसीआई के अधिकारियों के लिए 17-19 दिसंबर, 2013 के दौरान यूएसएफटीसी के सहयोग से उच्च प्रौद्यगिकी और प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। (छ) 20 दिसंबर, 2013 को सीसीआई के अधिकारियों के लिए प्रस्तुति दक्षता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। (ज) 21-23 मार्च, 2014 को सीसीआई के अधिकारियों के लिए मसूरी में नेतृत्व और दल निर्माण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
	(iii) भारत के बाहर प्रशिक्षण/कार्यशाला/सेमिनार	(क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों ने ओईसीडी और ओईसीडी-कोरिया पॉलिसी सेंटर के निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लियाः

	(i) जेजू द्वीप, कोरिया में 17-19 अप्रैल, 2013 के दौरान आयोजित बौद्धिक संपदा और प्रतिस्पर्धा कानून पर कार्यशाला में दो अधिकारियों ने भाग लिया। (ii) कुआलांलूपूर, मलेशिया में 25-27 जून, 2013 के दौरान फाइटिंग बिड रिगिंग पर कार्यशाला में 2 अधिकारियों ने भाग लिया। (iii) सिओल, कोरिया में 4-6 सितंबर, 2013 के दौरान यूज ऑन इंडायरेक्ट एवीडेंस इन कार्टल इंवेस्टीगेशन सेटंर पर कार्यशाला में दो अधिकारियों ने भाग लिया। (iv) बुसान, द.कोरिया में 11-13 दिसंबर, 2013 के दौरान कॉम्पलेक्स मर्जस पर कार्यशाला में एक अधिकारी ने भाग लिया। (ख) जापान ट्रेड फेयर कमीश्न और एशियन डेवलेपमेंट बैंक इस्टीट्यूट द्वारा टोक्यों, जापान में 3-7 जून, 2013 के दौरान आयोजित "कम्पीटिशन लॉ एंड पॉलिसी फार एशियन कंट्रीज" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो अधिकारियों ने भाग लिया। (ग) इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 29-30 मई 2013 के दौरान आयोजित "रोल ऑफ कंपीटिशन इन फास्टरिंग ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट" पर तीसरें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक अधिकारी ने भाग लिया। (घ) न्यूयार्क, यूएसए में 24-28 जून, 2013 के दौरान फोर्दम कॉम्पिटिशन लॉ इंस्टीट्यूट (एफसीएलआई) द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिकारी अर्थाशास्त्री के लिए पाठ्यक्रम में एक अधिकारी ने भाग लिया। (ड़) जेनेवा, स्विटजरलैंड में 8-10 जुलाई, 2013 के दौरान आयोजित प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति संबंधी इंटर गवर्नेमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्टस् (आईजीई) के 13वें सत्र में एक अधिकारी ने भाग लिया। (च) बीजिंग, चीन में 31 जुलाई-2अगस्त, 2013 के दौरान आयोजित चायना कंपिटीशन पॉलिसी फॉरम-ट्रांसफार्मेशन ऑफ कंपिटीशन पॉलिसी में एक अधिकारी ने भाग लिया।

		(छ) स्टॉकहोम, स्वीडन में 17-18 सितंबर, 2013 के दौरान एसोसिंग डॉमीनेंस/सब्सर्टेशियल मार्केट पावर एंड इवेल्यूएटिंग यूनीलेटरल कंडक्ट पर क्षेत्रीय आईसीएन यूनीलेटरल कंडक्ट वर्कशॉप में एक अधिकारी ने भाग लिया। (ज) केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 15-18 अक्तूबर, 2013 के दौरान आयोजित इंटरनेशनल कंपिटीशन नेटवर्क (आईसीएन) वर्कशॉप ऑन कार्टेल 2013 में एक अधिकारी ने भाग लिया। (झ) सेओल में 9-10 दिसंबर, 2013 को कोरिया फेयर ट्रेड कमीशन (केएफटीसी) द्वारा आयोजित 17वीं इंटरनेशनल वर्कशाप ऑन कंपिटीशन पॉलिसी में एक अधिकारी ने भाग लिया। (ञ) रोम, इटली में 12-13 दिसंरब, 2013 के दौरान 2013 आईसीएन एडवोकेसी वर्कशापः "एडवोकेसीः अ ड्राइवर फॉर चेंज" में एक अधिकारी ने भाग लिया। (ट) वर्जीनिया, यूएसए में 13-14 फरवरी, 2014 के दौरान यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन के सहयोग से जार्ज मेसन यूनीवर्सिटी स्कूल द्वारा आयोजित ग्लोबल एंटीट्रस्ट कोलोक्विम फॉर इंटरनेशनल कंपिटीशन एजेंसी ऑफिशियल 2014 में एक अधिकारी ने भाग लिया। (ठ) रोम, इटली में 19-21 फरवरी, 2014 के दौरान आयोजित एभीए/आईबीए इंटरनेशलन कार्टेल वर्कशाप 2014 में एक अधिकारी ने भाग लिया। (ड) मास्को, रूस में 11-12 मार्च, 2014 के दौरान एफएएस रशिया द्वारा औषध क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा समस्याओं के अध्ययन के लिए आयोजित इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र में एक अधिकारी ने भाग लिया।
	iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	क) सहमति ज्ञापन 1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और आस्ट्रेलिया केनबरा स्थित आस्ट्रेलियन कंपिटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (एसीसीसी) के बीच 3 जून, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक

		चावला और एसीसीसी के अध्यक्ष श्री शॉड सिम्स द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 2) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और यूरोपियन संघ के लिए डायरेक्टर जनरल फॉर कंपिटीशन (डीजी, कंपिटीशन) ने 21 नवंबर, 2013 पर तीसरे ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपिटीशन कांफ्रेंस के अनुरूप प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर कंपिटीशन, यूरोपियन संघ के वाइस प्रेसीडेंट श्री जोकिन एल्मुनिया और सीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक चावला ने हस्ताक्षर किए।
		ख) दिल्ली समझौता :- ब्राजील, रूस गणराज्य, भारत गणराज्य, चीन गणराज्य आर दक्षिण अफ्रिकी गणराज्य के प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों के प्रमुखों ने नई दिल्ली में तीसरे ब्रिक्स आईसीसी के दौरान 22 नवंबर, 2013 को 'दिल्ली समझौता' नाम से एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग) आयोग में आए हुए विदेशी सरकारों, विदेशी प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों, बहुपक्षीय संस्थाओं और द्विपक्षीय बैठकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के ब्यौरे :- 1) श्री वु झेगुओ, उप महानिदेशक, एंटी मोनोपॉली ब्यूरो की अद्यक्षता में चीनी वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) के एक प्रतिनिधिमंडल की सीसीआई के साथ 08.04.2013 को बैठक हुई और एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। 2) सुश्री जुली कार्लसन, अर्थशास्त्री, यूएसएफटीसी ने 29 जुलाई से 17 अगस्त, 2013 तक सीसीआई में आयोग के प्रतिस्पर्धा रोधी प्रभार, संयोजन प्रभार और अर्थशास्त्र प्रभार के साथ प्रशिक्षण लिया और अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता साझा की। 3) एसीसीसी-सीसीआई सहमति ज्ञापन के अधीन आस्ट्रेलिया के साथ नई दिल्ली में 20.11.2013 को एक द्वीपक्षीय बैठक हुई। 4) 21-22 नवंबर को सीसीआई ने ब्राजील (सीएडीई), रूस (एफएएस), चीन

		(एसएआईसी) और दक्षिण अफ्रिका (सीसीएसए) के प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों के साथ द्वीपक्षीय बैठकें की। सीसीआई ने महानिदेशक, प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय यूनियन के साथ भी द्वीपक्षीय बैठक की। 5) लंदन शहर के लॉर्ड मेयर माननीया एल्डरमैन फियोना उल्फ ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 20.01.2014 को आयोग का दौरा किया और आयोग के साथ बैठक की। 6) अमेरिकन बार एसोसिएशन (एबीए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13.02.2014 को आयोग का दौरा किया और अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, सीसीआई के साथ बैठक की। घ) आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरे 1) अध्यक्ष, सीसीआई ने दो अधिकारियों के साथ 23-26 अप्रैल, 2013 के दौरान वार्शा, पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के 12वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। 2) सदस्य, सीसीआई ने 22-24 मई, 2013 को स्टाना, कजाकिस्तान में एजेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान फॉर कम्पीटीशन प्रोटेक्सन (एंटीमोनपोली एजेंसी) द्वारा आयोजित 6ठे स्टाना इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन में भाग लिया। 3) सदस्य, सीसीआई ने 17-19 जून, 2013 के दौरान पेरिस, फ्रांस में ओईसीडी प्रतिस्पर्धा समिति और भागीदारों की बैठक में भाग लिया। 4) सदस्य, सीसीआई ने 9-12 सितंबर, 2013 के दौरान इरकुट्स्क, रूस में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन “रूसी प्रतिस्पर्धा दिवस” में भाग लिया। 5) सीसीआई के एक अधिकारी ने 26-27 सितंबर, 2013 के दौरान ब्रिसबेन आस्ट्रेलिया में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग (आरसीईपी) पर तैयारी बैठक में भाग लिया।

		6) अध्यक्ष, सीसीआई ने 25-27 सितंबर, 2013 के दौरान न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2013 फोर्ढम कंपीटीशन लॉ इंस्टीट्यूट एनुअल कॉफ्रेंस और प्रतिस्पर्धा पर प्राधिकारों के प्रमुखों की सातवीं कार्यशाला में भाग लिया। 7) सदस्य, सीसीआई ने 28-31 अक्तूबर, 2013 के दौरान पेरिस, फ्रांस में ओईसीडी प्रतिस्पर्धा समिति और इसके कार्यकारी भागीदारों की बैठक में भाग लिया। 8) अध्यक्ष, सीसीआई ने 24-28 फरवरी, 2014 के दौरान पेरिस, फ्रांस में ओईसीडी प्रतिस्पर्धा समिति बैठकों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा फोरम में भाग लिया। सीसीआई ने ओईसीडी वैश्विक प्रतिस्पर्धा फोरम के लिए "फाइटिंग करप्सन एंड प्रोमोटिंग कंपीटीशन" और "कंपीटीशन इश्यू इन द डिस्ट्रीब्यूसन ऑफ फार्माश्युटिकल्स" दो शोध पत्र भी प्रस्तुत किए। 9) सदस्य, सीसीआई 19-21 मार्च, 2014 के दौरान सिओल, दक्षिण कोरिया में ओईसीडी/केपीसी की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष कार्यशाला में भाग लिया।
	v) न्यूजलेटर	क) अप्रैल-जून, 2013 तिमाही के लिए तिमाही न्यूजलेटर "फेयर प्ले" का पांचवां संस्करण प्रकाशित किया गया। यह न्यूजलेटर तिमाही के दौरान हुए कार्यकलापों के साथ "चौथे वार्षिक दिवस समारोह, सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा चिंताओं" पर विशेष फोकस करता है। ख) जुलाई-सितंबर, 2013 तिमाही के लिए तिमाही न्यूजलेटर "फेयर प्ले" का छठा संस्करण प्रकाशित किया गया। यह न्यूजलेटर तिमाही के दौरान हुए कार्यकलापों के साथ "ब्रिक्स कंपीटीशन रिजिम्स एंड को-ऑपरेशन" पर विशेष फोकस करता है। ग) अक्तूबर-दिसंबर, 2013 तिमाही के लिए तिमाही न्यूजलेटर "फेयर प्ले" का सांतवां संस्करण प्रकाशित किया गया। यह न्यूजलेटर तिमाही के दौरान हुए कार्यकलापों के साथ "ब्रिक्स वेज टू कंपीटीशन को-ऑपरेशन" पर विशेष फोकस करता है।

	vi) विशिष्ट अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला	क) सातवां "विशिष्ट अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला" व्याख्यान डा. मोहन गोपाल, लब्धख्याति न्यायविद् और निदेशक, राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान द्वारा 08 अप्रैल, 2013 को सीसीआई में "कानून, अर्थव्यवस्था और विकास - भारतीय परिप्रेक्ष्य में चुनौतियां" विषय पर दिया गया। ख) आठवां "विशिष्ट अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला" व्याख्यान डा. अशोक गुलाटी, अध्यक्ष, कृषि मूल्य लागत आयोग द्वारा 26 जुलाई, 2013 को सीसीआई में "भारत में प्रतिस्पर्धी कृषि का विकास" विषय पर दिया गया। ग) नौवां "विशिष्ट अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला" व्याख्यान श्री नयन चंदा, प्रकाशन निदेशक, येल सेंटर फॉर दी स्टडी ग्लोबलाइजेशन द्वारा 06 अगस्त, 2013 को सीसीआई में "ग्लाबलाइजेशन - राइडिंग द वेभ ऑफ कंपीटीशन" विषय पर दिया गया। घ) दसवां "विशिष्ट अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला" व्याख्यान श्री. विक्रम सिंह मेहता, अध्यक्ष, ब्रुकिंग्स इंडिया द्वारा 20 मार्च, 2014 को सीसीआई में "भारत में ऊर्जा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा चिंताएं" विषय पर दिया गया।
	vii) विशेष अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला	क) पहला "विशेष अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला" व्याख्यान श्री बेन इडलमैन, एसोसिएट प्रोफेसर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा 20 दिसंबर, 2013 को सीसीआई में "ऑनलाइन मार्केट्स" विषय पर दिया गया। ख) दूसरा "विशेष अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला" व्याख्यान डा. रसेल पिटमैन, निदेशक, इकोनॉमिक रिसर्च इन एंटी ट्रस्ट डिविजन, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 22 जनवरी, 2014 को सीसीआई में "परिवहन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मुद्दे" विषय पर दिया गया।
	viii) अन्य	क) चौथा वार्षिक दिवस - सीसीआई ने 20 मई, 2013 (अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख) को होटल अशोक में अपना "वार्षिक दिवस" मनाया। माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सचिन पायलट ने आधार व्याख्यान दिया और माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चितम्बरम ने वार्षिक दिवस उद्घाटन भाषण दिया। इस अवसर पर डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रथम दिवस कवर जारी किया।

	ख) तीसरी ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन - सीसीआई ने तीसरा ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन (आईसीसी) 20-22 नवंबर, 2013 को होटल अशोक, नई दिल्ली में आयोजित किया। इस सम्मेलन में लगभग 100 विदेशी और 200 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, 2013 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 21 नवंबर, 2013 को किया।
7) मुकदमों से संबंधित मामले	आयोग ने सीक्षाधीन अवधि में कॉम्पैट, सीएमएम, विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 274 मुकदमों से संबंधित मामले चलाए।
8) कार्मिकों की नियुक्ति	
i) प्रतिनियुक्ति आधार पर	इस अवधि के दौरान आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर छह समर्थन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और महानिदेशक, सीसीआई के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन व्यावसायिकों और पांच समर्थन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई।
ii) सीधी भर्ती	सीधी भर्ती प्रक्रिया के चौथे चक्र में अप्रैल, 2013 और अगस्त, 2013 में आयोजित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के परिणामों के आधार पर विभिन्न वर्गों और विषयों में 22 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इनमें से 13 अभ्यर्थियों ने आयोग में कार्यग्रहण कर लिया है और 3 अभ्यर्थियों को प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं। शेष अभ्यर्थी नियुक्ति पूर्व प्रक्रिया के पूरा होने पर आयोग में कार्यग्रहण करेंगे।
iii) अनुसंधान सहायक और व्यावसायिकों की सेवाएं लेना (संविदा आधार पर)	प्रतिस्पर्धा अधिनयिम, 2002 के तहत बनाए गए विनियमो के अनुसरण में कानून, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र से 26 अनुसंधान सहायकों/विशेषज्ञों और व्यावसायिकों की सेवाएं एक वर्ष की अवधि के लिए ली गई हैं, जिसमें से 5 अनुसंधान सहायकों ने त्यागपत्र दे दिया है। इसके अतिरिक्त, कानून, अर्थव्यवस्था, वित्तीय विश्लेषण और प्रबंधन के क्षेत्र के 11 अनुसंधान सहायकों/विशेषज्ञों तथा व्यावसायिकों की सेवाएं एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई हैं।
iv) अनुसचीवीय सहायकों की सेवाएं (संविदा आधार पर)	3 सलाहकारों की सेवाएं एक वर्ष की अवधि के लिए ली गई हैं। 11 निजी सचिवों की सेवाओं में एक वर्ष का विस्तार दिया गया है।

	9) कार्मिकों की नियुक्ति i) प्रतिनियुक्ति आधार पर	आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन समर्थन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और महानिदेशक, सीसीआई के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर दो व्यावसायिकों और तीन समर्थन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई।
	ii) सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के तीसरे चरण में 20 व्यावसायिकों और 13 समर्थन कर्मचारियों के चयन हेतु 22 जनवरी, 2012 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें से दो अभ्यर्थियों ने आयोग में कार्यग्रहण कर लिया है - एक व्यावसायिक श्रेणी में और एक समर्थन कर्मचारी श्रेणी में। समर्थन श्रेणी में चयनित शेष एक अभ्यर्थी ने अभी कार्यग्रहण नहीं किया है। सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती के अगले चरण में जनवरी, 2013 में सीधी भर्ती के रिक्तियों का विज्ञापन जारी किए जाने की संभवना है। चयन प्रक्रिया के दो भाग होंगे - लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा अप्रैल/मई, 2013 में आयोजित किए जाने की संभावना है।
	iii) विशेषज्ञों की सेवाएं	प्रतिस्पर्धा अधिनयिम, 2002 के तहत बनाए गए विनियमो के अनुसरण में कानून, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र से 9 अनुसंधान सहायकों/विशेषज्ञों और व्यावसायिकों की सेवाएं एक वर्ष की अवधि के लिए ली गई हैं। कानून, अर्थव्यवस्था और प्रबंधन के क्षेत्र के 11 विशेषज्ञों तथा व्यावसायिकों (त्यागपत्र देने वाले 2 लोगों को छोड़कर) की सेवाएं एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई हैं।
	iv) संविदा आधार पर निजी सचिवों की सेवाएं	आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहायता देने के लिए फरवरी/अप्रैल, 2012 मे 12 निजी सचिवों की सेवाएं संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए ली गई हैं।
कंपनी विधि बोर्ड	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न धाराओं के तहत 14453 याचिकाओं/आवेदनों पर विचार किया गया। इनमें से इस अवधि के दौरान 8632 याचिकाओं/आवेदनों का निपटान किया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं 43, 79/80क,	जमाकर्ताओं द्वारा 8 कंपनियो के संबंध में कठिनाइयों के आधार पर जमा के प्रतिसंदाय के लिए दायर आवेदनों पर विचार करने के लिए कठिनाई समिति बैठकों का आयोजन सीएलबी, नई दिल्ली में किया गया। 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि में 2281 जमाकर्ताओं को 2,20,62,506 रुपए (लगभग) वितरित किए गए। प्रतिसंदाय के लिए चैक/ड्राप्ट सीएलबी द्वारा कठिनाइयों के आधार पर दायर मामलों के संबंध में कंपनियों से सीएलबी मे

	111/111क, 113/113क, 117, 117ग, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 235, 237ख, 247/250, 269, 284, 304, 307, 397/398 आदि के अधीन 2158 याचिकाएं/आवेदन निपटाए गए। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क के तहत 1465 मामलों का प्रशमन किया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क(9), 58कक और आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45थक के तहत 5009 आवेदन निपटाए गए।	उनकी प्राप्ति पर किया जाता है। 2. 01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अधीन कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अग्रेनीत किए गए, प्राप्त और निपटाए गए याचिकाओं/आवेदनों का ब्यौरा अनुल्गनक-I में दिया गया है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय	**क. परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)** (1) पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करना (लक्षित तिथि 30.06.2013)	**क. परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)** (1) पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा को मई, 2013 में अंतिम रूप दिया गया।
	(2) इस मॉडल का प्रायोगिक परीक्षण (लक्षित तिथि 30.09.2013)	(2) लक्ष्य की प्राप्ति की गई (i) आईटी अवसंरचना तैयार कर ली गई है। (ii) एमसीए21वी2 परियोजना के कार्यानव्यन में डाटाबेस मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। (iii) उपकरणों की प्राप्ति और मैनपावर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
	(3) आईटी अवसंरचना की स्थापना (लक्षित तिथि 31.12.2013)	(3) अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के भाग के रूप में अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की स्थापना 30.09.2013 को की गई।
	(4) अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना और अधिकारियों का प्रशिक्षण (i) ई-ऑफिस की स्थापना (लक्षित तिथि 30.06.2013)	 (i) ई-ऑफिस ने 28.06.2013 से कार्य प्रारंभ कर दिया।

	(ii) अवसंरचना की स्थापना (लक्षित तिथि 30.09.2013) (iii) साइबर अपराध विज्ञान में अधिकारियों का प्रशिक्षण (लक्षित तिथि 31.12.2013)	(ii) अपेक्षित अवसंरचना लक्षित तारीख तक तैयार कर ली गई थी। (iii) अधिकारियों को 30.09.2013 को अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के पश्चात् विभिन्न अपराध विज्ञान उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया।
	जांच एसएफआईओ को कोई भौतिक लक्ष्य नहीं दिए गए।	**जांच** 1. वर्ष 2013-14 के दौरान 26 अभियोजन मामले चलाए गए जिन्हें अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है। 2. वर्ष 2013-14 के दौरान 20 मामलों के संबंध में एसएफआईओ द्वारा जांच रिपोर्ट जमा किए गए जिन्हें अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है।

अनुलग्नक–I

अध्याय–6, पृष्ठ–47

कंपनी विधि बोर्ड

01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान प्राप्त, निपटाई तथा लंबित याचिकाओं/आवेदनों का समेकित विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 की धारा	अथ शेष	प्राप्तियां	कुल (कॉलम 2+3)	निपटाए गए	लंबित (कॉलम 2+3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
धारा 43	0	1	1	1	0
आरबीआई अधिनियम की धारा 45 क्यूए	7	6	13	11	2
धारा58क(9)	233	7117	7350	4993	2357
धारा58कक(1)	1	7	8	5	3
धारा79/80क	4	5	9	9	0
धारा113/113(3)	9	10	19	13	6
धारा 117	0	0	0	0	0
धारा117ग	5	3	8	4	4
धारा118	0	0	0	0	0
धारा144	0	0	0	0	0
धारा163	87	42	129	12	117
धारा167	4	8	12	3	9
धारा169	0	1	1	0	1
धारा186	4	5	9	7	2
धारा196	0	1	1	0	1
धारा219	3	56	59	17	42
धारा 284	0	0	0	0	0
धारा307	0	0	0	0	0
धारा614	24	12	36	12	24
धारा621क	470	1663	2133	1465	668
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111/111क और कंपनी अधिनियम, 2013 की 58–59	201	65	266	68	198
धारा634क	23	4	27	3	24
धारा235	7	0	7	1	6
धारा237(ख)	20	7	27	7	20
धारा284(4)	2	2	4	3	1
धारा397/398	1261	454	1715	333	1382
धारा408	0	0	0	0	0
धारा 409	0	2	2	1	1
धारा247/250	10	6	16	7	9
धारा269	0	0	0	0	0
धारा388ख	12	1	13	0	13
इंटरलोकेटरी अपील	413	1111	1524	823	701
विविध अपीले	1	1063	1064	834	230
कुल योग	**2801**	**11652**	**14453**	**8632**	**5821**

अनुलग्नक–II

अध्याय–6, पृष्ठ–48

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय
2013–14 के दौरान अदालती मामलों के ब्यौरे

क्र.स.	कंपनी का नाम	कारपोरेट विधि के तहत	आईपीपी के तहत	कुल
1.	कृषि एक्सपोर्ट कमर्शियल कॉरपोरेशन लि.	1	2	3
2	जैनेक्सट प्रोमोटर्स प्रा. लि.	17	0	17
3.	गोल्ड क्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा.लि.	6	0	6
	कुल	**24**	**2**	**26**

01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान एसएफआईओ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट

क्र.स.	कंपनी का नाम	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
1	रिबॉक इंडिया कंपनी	07.05.2013
2	बेसिल इंटरनेशनल लि.	31.03.2014
3	वम्शी केमिकल्स लि.	31.03.2014
4	निक्सिल फार्मास्यूटीकल्स स्पेशिलिटिज लि.	31.03.2014
5	एप्लाइन कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरिज लि.	31.03.2014
6	बेसिल इंटरनेशनल लि.	31.03.2014
7	वैष्णवी कारपोरेट कम्युनिकेशंस प्रा. लि.	21.01.2014
8	वैष्णवी एडवाईजरी सर्विसेज प्रा. लि.	21.01.2014
9	लेजर क्लब इंडिया प्रा.लि.	21.01.2014
10	क्लेरो कंसलटेंसी प्रा.लि.	21.01.2014
11	मैजिक एयरलाइंस प्रा. लि.	21.01.2014
12	मानसी एग्रो प्रा. लि.	21.01.2014
13	क्राउनमार्ट इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि.	21.01.2014
14	विटकॉम कंसलटेंसी प्रा. लि.	21.01.2014
15	न्यूकॉम कंसलटेंसी प्रा. लि.	21.01.2014
16	यूनीगेटवे 2यू ट्रेडिंग प्रा.लि.	31.03.2014
17	यूनीपे 2यू मार्केटिंग प्रा.लि	31.03.2014
18	यूनीपे क्रिएटिव बिजनेस प्रा.लि	31.03.2014
19	यूनीपे 2यू प्रोडक्शन प्रा.लि	31.03.2014
20	काइनमेटिक्स मार्केटिंग प्रा.लि.	01.04.2013
21	डी.आर. गौड प्रोजेक्टस प्रा.लि.	19.03.2014